<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/15/2021-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 19 जनवरी, 2023

<u>मामला सं. एडीडी (ओ.आई.) - 15/2021</u>

<u>अधिसूचना</u>

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

विषय: चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. मैसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवदेक या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी गया गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड" "जिसे यूडीसीए भी कहा गया है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और तत्पश्चात पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 6/15/2021-डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाये तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकरी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 6/15/2021-डीजीटीआर द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे जिनमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

4. संबद्ध देशों में मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 25/2022-सीमा शुल्क दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 6 माह की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत

करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।

घ. प्राधिकारी ने नियामवली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी प्रदान की थी।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. फारमासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
ii. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.
iv. एसडीएआरटी इंटरनेशनल इंक, चीन जन.गण.
v. मेइशान जिंगोंग बायो कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
vi डेवूंग बायो इंक, कोरिया गणराज्य

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
ii. सिचुआन जिएली, चीन जन.गण.
iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.
iv. फार्मासिनो कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
v. हांगझोऊ डावन रे फार्मासियुटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.
vi. सुझोऊ टियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
vii. डेवूंग बायो इंकारपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. डीपीबी आंटिबायोटिक्स लिमिटेड

ii. मेडरिच लिमिटेड

iii. सन फार्मा लेबोरेट्रीज लिमिटेड

iv. विन-मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड

v. इंड-स्विफ्ट लिमिटेड

vi नोवेल फार्मा साल्युशंस एलएलपी

vii. काडिला हैल्थकेयर लिमिटेड

viii. स्ट्राइड्स फार्मा साईंस लिमिटेड

ix. ईस्टर्न केमिकल्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड

x. पार फार्मुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड

xi. वाटसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

xii. ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

xiii. एमनियल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

xiv. एबॉट इंडिया लिमिटेड

झ. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ञ. इसके अतिरिक्त, चाइना चैम्बर ऑफ कामर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिशियंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट ने प्रारंभिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ट. आयातक और निर्यातक तथा अन्य पक्ष जिन्होंने सहयोग नहीं किया उन्हें असहयोगी पक्ष माना गया।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। पहली बार समय सीमा 9 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई और उसके बाद 23 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई।

ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के ज़रिए एक ई-फाइल के रूप में उपलब्ध रखे थे।

ढ. चूंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईऐंडएस) द्वारा आयात आंकड़ों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ण. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' भी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध

वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मंगाई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और कोरिया गणराज्य से प्रतिवादी निर्यातक का भौतिक सत्यापन भी किया है।

थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि पर 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच अवधि की अवधियों के रूप में विचार किया गया है।

द. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों संबंधी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को 30 दिन का समय दिया है। प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी टिप्पणियां सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित की गई।

ध. प्राधिकारी ने 10 अगस्त, 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना देने का अवसर दिया जा सके। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित अनुरोध करने का आग्रह किया गया ताकि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार बाद में उनका खंडन प्रस्तुत कर सकें।

न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

ऩ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

प. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यात्मक दस्तावेज़ों की आगे जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेगा।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ब. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर =74.53 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

6. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच मे विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। जिसे उरसोडियोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है।

यूडीसीए का प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। यूडीसीए का प्रयोग प्राथिमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार दर्शा सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक स्कलेरोजिंग कोलेंगिटिज, गर्भावस्था के इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, बाइल रिफ्लैक्स गैस्ट्रिटिस आदि के उपचार में भी होता है।

इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए पीयूसी की गुणवत्ता की जाचं करने का अनुरोध किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
   क. उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड जिसे उरसोडीयोल भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला बाइल एसिड है। इसका आणविक सूत्र सी24एच40ओ4 है।
   ख. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों जैसे टैरिफ वर्गीकरण के 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि इस उत्पाद का अधिकांशत: आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया जाता है।
   ग. यूडीसीए को कोलिक एसिड (सीए) या केनोडियोक्सीकोलिक एसिड (सीडीसीए) के रूपांतरण द्वारा उत्पादित किया जाता है जिसे बोवाइन ओरिजन बाइल (ऑक्स बाइल) या पोरसाइन ओरिजन बाइल (पिग बाइल) या ऐवियन बाइल (बर्ड बाइल) के प्रसंस्करण से प्राप्त किया जाता है।
   घ. घरेलू उद्योग की विनिर्माण स्थलों को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडीए और ईडीक्यूएम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
   ड. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद कथित पाटित वस्तुओं से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की नीचे जांच और समाधान किया गया है।

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। जिसे उरसोडायोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है। यूडीसीए का उत्पादन कोलिक एसिड के प्रयोग से किया जाता है, जो ऑक्सीकृत होकर केनोडियोक्सीकोलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित केनोडियोक्सीकोलिक एसिड को

लिथोकोलिक एसिड में बदलने के लिए एंजाइनमेटिक आक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। लिथोकोलिक एसिड को आगे उरसोडियोक्सिकोलिक (क्रूड) बनाने के लिए बायोकेथेलेटिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है और आगे उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के रूप में उपचारित किया जाता है।

11. यूडीसीए एक सक्रिय भेषज अवयव है। इसका प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार दर्शा सकता है। यूडीसीए ऊपर उल्लिखित उपचारों के लिए अपेक्षित दवाइयों हेतु कोई कच्ची सामग्री या मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, बल्कि उपचार के लिए प्रयुक्त दवाइयों का एक अवयव है।

12. यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता में अंतर है। तथापि, इस दावे के लिए कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं दिया गया है। अत: किसी सत्यापन योग्य साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं । यह भी नोट किया जा सकता है कि आवेदक का विनिर्माण स्थल यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्टेशन (यूएसएफडीए) और यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसीन्स एंड हेल्थ केयर (ईडीक्यूएम) द्वारा अनुमोदित है।

13. पीयूसी को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

14. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन हैं और एक दूसरे के स्थान पर

प्रयोग होते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोंनो का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अन्य अनुरोध नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा निर्धारित पीयूसी के दायरे की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने पीओआई के केवल चार माह की अवधि में उत्पादन किया है और उसकी क्षमता भारत में कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम है और इसलिए वह भारत में कुल उत्पादन के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने स्थिति का पता लगाने में शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, (जिसे आगे शिल्पा कहा गया है), रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे रायकेम कहा गया है) और आईओएल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल लिमिटेड (जिसे आगे आईओएल कहा गया है) के उत्पादन पर विचार नहीं किया है।
- ग. शिल्पा की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह कंपनी भी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के उत्पादन में शामिल है।
- घ. रायकेम भी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए) के उत्पादन में शामिल है।
- ड. स्थिति संबंधी आवेदक द्वारा किया गया दावा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु के चार अन्य उत्पादक हैं। स्थिति और मांग के आकलन के निर्धारण के लिए तीन उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री को शामिल नहीं करने का कोई आधार नहीं है।
- च. प्राधिकारी ने किसी दस्तावेजी आधार के बिना यह दर्ज किया है कि रायकेम यूडीसीए एपीआई का अग्रिम मध्यवर्ती उत्पादित करता है। रायकेम अग्रिम एपीआई का उत्पादन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इसके लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन नहीं है।

छ. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी की संमुक्तियों के विपरीत घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में यह तर्क नहीं दिया है कि रायकेम समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।

ज. शिल्पा रायकेम के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एक स्वतंत्र उत्पादक है। पर्यावरण स्वीकृति दस्तावेज के अनुसार शिल्पा के पास 108 एमटीपीए संबद्ध वस्तु[1] के उत्पादन की अनुमति है। इस बात की शिल्पा की वार्षिक रिपोर्ट से भी पुष्टि की जा सकती है[2]।

झ. आईओसीएल द्वारा प्रदत्त सूचना को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सूचना का कोई सार्वजनिक संस्करण परिचालित नहीं हुआ है।

ञ. भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक भी संबद्ध देशों से किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नही किया है और इसलिए उन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ट. प्राधिकारी को स्थिति तथा पीयूसी के कुल उत्पादन का पता लगाते समय उस क्षेत्र के केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से आंकड़े मंगाने चाहिए।

ठ. यदि रायकेम एक निर्यातोन्मुख इकाई है तो भी पीयूसी के और घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन निर्धारित करते समय उसके उत्पादन को बाहर नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी ने निर्यातोन्मुख इकाई को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना था।

ड. स्थिति सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का है और भारत में कुल उत्पादन संबंधी सूचना नहीं होने पर आवेदक का भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा नहीं माना जा सकता है

ढ. प्राधिकारी को इस आधार पर जांच समाप्त कर देनी चाहिए कि आवेदक ने पीयूसी के अन्य उत्पादकों संबंधी सूचना छिपायी है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

16. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड भारत में यूडीसीए एपीआई का एकमात्र मौजूदा उत्पादक है।

---

[1] सीसीसीएमएचपीआईई, शुझो और झोंगशान द्वारा किए गए डब्ल्यूएस अनुरोध का प्रदर्श ख

[2] सीसीसीएमएचपीआईई, शुझो और झोंगशान द्वारा किए गए डब्ल्यूएस अनुरोध का प्रदर्श ग

ख. आईओएल केमिकल्स लिमिटेड की योजना कंपेन आधार पर यूडीसीए के उत्पादन की थी, परंतु उनके उत्पादन की वर्तमान स्थिति अज्ञात है।

ग. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

घ. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में आयातकों से संबंधित नहीं है।

ड. रायकेम मेडीकेयर एक निर्यातोन्मुख इकाई है और इसलिए उसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

च. आईओसीएल ने प्राधिकारी को अपने आंकड़े बताए हैं और प्राधिकारी ने पाया है कि आर्क फार्मा का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

छ. शिल्पा मेडीकेयर लि० का आईसीई एसपीए, इटली, अर्थात रायकेम मेडीकेयर प्रा० लि० के साथ एक संयुक्त उद्यम है जो संबद्ध वस्तु के अग्रिम मध्यवर्ती के उत्पादन में शामिल है। शिल्पा मेडीकेयर लि० की वार्षिक रिपोर्ट में सभी उल्लेख रायकेम मेडीकेयर प्रा० लि० के बारे में है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोधों के संबंध में कि अन्य कंपनियां भी यूडीसीए का उत्पादन कर रही हैं, प्राधिकारी ने रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड और आईओएल केमिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पादन की स्थिति का पता लगाने के लिए पत्र भेजा था। तथापि, रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड आईसीई एस.पी.ए., इटली के साथ एक संयुक्त उद्यम में शामिल हुआ है और रायकेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी बनाई है। आईओएल, केमिकल्स फार्मास्युटिकल लि० ने उत्पादन और बिक्रियों संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराए

हैं और कुल भारतीय उत्पादन तथा भारतीय मांग का पता लगाने के लिए उन पर विचार किया गया है।

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि शिल्पा मेडीकेयर लि० संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल है जैसा ऊपर बताया गया है कि शिल्पा मेडीकेयर लि० का रायकेम मेडीकेयर प्रा० लि० नामक एक संयुक्त उद्यम है। शिल्पा मेडीकेयर लि० की वार्षिक रिपोर्ट में सभी उल्लेख रायकेम मेडीकेयर प्रा० लि० के बारे में है। प्राधिकारी ने शिल्पा मेडीकेयर लि० को भी पत्र भेजा था, परंतु कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि शिल्पा मेडीकेयर लि० को संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

20. प्राधिकारी रायकेम मेडीकेयर प्रा० लि० की उत्पादन क्षमता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को भी नोट करते हैं। इस संबंध में आवेदक ने तर्क दिया है कि उत्पादक (रायकेम) संबद्ध वस्तु की अग्रिम मध्यवर्ती वस्तु का उतपादन करता है। उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि रायकेम एक निर्यातोन्मुख इकाई है (जिसे आगे ईओयू कहा गया है) । इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति भी यह उल्लेख करती है कि ईओयू को अपना पूरा उत्पादन निर्यात करना होता है और वह लागू कानूनों में निर्धारित शर्तों के अधीन केवल घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री कर सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली का नियम 2(ख) या कोई अन्य कानून घरेलू उद्योग के दायरे से ईओयू को बाहर रखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है और ऐसी इकाइयों को भारत की विदेश व्यापार नीति और एसईजेड नियमावली 2006 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त हकदारी की सीमा तक उनकी घरेलू बिक्रियों के अनुसार घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है। प्राधिकारी ने उत्पादक को पत्र भेजा था, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया और इसलिए उत्पादक के भारतीय उत्पादन और घरेलू बिक्रियों संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

21. पीओआई के दौरान गैर-उत्पादन अवधि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में यह नोट किया गया है कि आवेदक का उत्पादन पाटित आयातों से प्रभावित था। आवेदक के पास उत्पाद की भारी माल सूची थी और माल सूची के बढ़ने पर उसे उत्पादन रोकने पर बाध्य होना पड़ा। वह आगे उत्पादन नहीं कर सकता था क्योंकि पीयूसी की भंडारण अवधि कम है और पीयूसी को लंबे समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है।

22. आवेदक ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक के पास भारत में पात्र उत्पादन के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा अर्थात 80 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. <u>विविध अनुरोध</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के मुकाबले द्वितीयक आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है और उनके गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयात आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया है। प्राधिकारी से प्रतिवादियों के अगोपनीय आयात आंकड़े शेयर करने का अनुरोध किया जाता है।

ख. आवेदन का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर, 2013 में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है।

ग. प्रपत्र-VI (लागत निर्धारण सूचना) के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया गया है।

घ. जांच शुरुआत अधिसूचना यह नहीं दर्शाती है कि क्षति के प्रथमदृष्टया मूल्यांकन के लिए समायोजित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजित आंकड़े क्षति की "वस्तुनिष्ठ जांच" नहीं करते हैं।

च. विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की इकाईयां भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर होती हैं और एसईजेड में आयातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी ने पूर्व की विभिन्न जांचों जैसे गैर-वोवन फैब्रिक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच और इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर की रक्षोपाय जांच में एसईजेड से संबंधित आयात आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया था।

ज. प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में यह भी नोट किया है कि एसईजेड इकाईयां अन्य घरेलू इकाईयों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और एसईजेड के भीतर ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है।

झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संदर्भ कीमत पर आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाए जैसा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणाम में किया था।

ञ. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग को दो निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना अपेक्षित है। परंतु केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग ने आंतरिक लेखा परीक्षक और महिला निदेशक भी नियुक्त नहीं की है।

ट. घरेलू उद्योग ने वित्तीय संस्थानों को बकाया और कानूनी बकाया चुकाने में चूक की है।

ठ. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का रूक-रूक कर उत्पादन किया है और इसलिए यदि घरेलू उद्योग उत्पादन बंद करता है तो पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क अनावश्यक हो जाएगा। अत: प्राधिकारी को केवल दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए।

ड. प्राधिकारी ने अनेक पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों जैसे चीन जन. गण. से ओ-एसिड[3] , अनकोटेड कॉपियर पेपर[4], अफ्लोक्सासीन[5] और फ्लोरोइलास्टोमर्स[6] (एफकेएम) में केवल दो वर्ष के लिए शुल्क की सिफारिश की है।

ढ. भारत को चीन जन. गण. से निर्यात के लिए निर्धारित संदर्भ कीमत इटैलियन यूडीसीए, जो संबद्ध देश नहीं हैं, से आयातित कीमत से अधिक है।

ड.2 घरेलू उद्‍योग द्‍वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्‍योग द्‍वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

क. पोर्सिन बाइल के उपभोग से एच1एन1 वायरस सूअरों से मनुष्यों में आ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्सिन स्रोतों से निकाले गए और तैयार यूडीसीए एसिड के आयातों को निषिद्ध औषधि घोषित किया है।

ख. यह संबद्ध देशों से उत्पादकों ने अपने अगोपनीय उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, कोई अगोपनीय सारांश नहीं दिया गया है।

---

[3] चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फा.स.14/31/2016-डीजीएडी दिनांक 19 दिसंबर, 2017

[4] इंडोनेशिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम मामला सं. 08/2021

[5] चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अफ्लोक्सासीन और उसकी मध्यवर्तियों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम फ. स. 6/12/2021 - डीजीटीआर

[6] चीन जन गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोइलास्टोमर्स (एफकेएम) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम मामला सं. (एसएसआर 02/2020)

ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निदेशक नियुक्त नहीं किए हैं और भुगतान में चूक की है। डीजीटीआर भुगतान में चूक से संबंधित मामलों में संपर्क करने के लिए सही मंच नहीं है।

घ. आयातकों ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। उनके द्वारा किए गए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।

ङ. पुनर्गठन की शुरूआत के बाद से आवेदक का दायित्व सबसे पहले अपने ऋणदाताओं के बकायों का भुगतान करना रहा है। उसके बाद किसी कानूनी बकाए का भुगतान किया जा सकता है। जैसा कि प्रदत्त सूचना से जांच की जा सकती है। कानूनी बकायों के काफी हिस्से को जमा कर दिया गया है।

च. आवेदक इस स्थिति के बारे में संगत विभागों के साथ नियमित चर्चा कर रहा है और एक परस्पर करार में शामिल हुआ है जिसके अंतर्गत सभी कानूनी बकायों को किस्तों में पूरा किया जाएगा।

छ. पहले के खराब वित्तीय निष्पादन के कारण कोई भी स्वतंत्र निदेशक आवेदक के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है।

ज. जेएमएफएआरसी के साथ हुए पुनर्गठन करार के साथ जेएमएआरसी से दो स्वतंत्र पयर्वेक्षक हमेशा बोर्ड की सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, चूंकि पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इसलिए आवेदक अपेक्षित निदेशकों की नियुक्ति के प्रति अस्वस्थ है।

झ. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में 2020-21 की अवधि के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख भी किया गया है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ञ. दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना कोई नियम नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय मामलावार आधार पर लेने पड़ते हैं।

ट. चीन जन. गण. से फ्लोरोइलास्टमर्स से संबंधित जांच[7] में दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश के लिए प्राधिकारी द्वारा दर्ज कारण यह था कि क्षति विश्लेषण केवल दो वर्ष के लिए किया गया था।

ठ. चीन जन. गण. से ओ-एसिड के आयातों संबंधी जांच[8] एक वास्तविक बाधा संबंधी जांच थी और क्षति विश्लेषण केवल 12 महीनों के लिए किया गया था। दो वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश का कारण क्षति विश्लेषण की कम अवधि था।

---

[7] संबंधित नोट 6

[8] संबंधित नोट 3

ड. ओफ्लोक्सासीन जांच[9] में केवल तीन वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश का कारण ओ-एसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच[10] पर आधारित था।

ढ. प्राधिकारी ने अनेक जांचों में तब भी पांच वर्ष के लिए शुल्क की सिफारिश की है जबकि घरेलू उद्योग इससे कम अवधि में प्रचालन रखा।

ण. चीन जन. गण. से उत्पादकों के लिए यूरोपीय संघ के उत्पादकों की तुलना में उच्चतर बैंचमार्क का कारण पाटन की मात्रा है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद शुरु की गई थी कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा, जांच शुरुआत के बाद घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और यहां स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं होने की सीमा तक पक्षकारों ने जांच में जानकारी प्रदान प्रदान की है।

26. नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं

---

[9] संबंधित नोट 5

[10] संबंधित नोट 3

हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

27. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

28. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की नियमावली के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए जांच की है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है।

29. कतिपय सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में आवेदक की विफलता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा पाटन, क्षति और संबद्ध आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के निर्धारण तक सीमित है जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल नहीं हैं। इन्हें उचित मंच के समक्ष उठाया जाए।

30. अनुसंशित शुल्क की अवधि और रूप के बारे में प्राधिकारी वर्तमान जाचं के तथ्यों के आधार पर जांच के अंतिम चरण में निर्णय लेंगे।

31. मानक आंकड़ों के आधार पर क्षति विश्लेषण संबंधी दावों के बारे में यह नोट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

32. चीन के आयातों के लिए गैर-संबद्ध देशों के आयातों की तुलना में उच्चतर संदर्भ कीमत के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ कीमत को आयातों के पहुंच मूल्य और पाटन या क्षति मार्जिन में से कमतर पर विचार करते हुए प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किया गया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित है:

क. चीन का एक्सेसन प्रोटोकोल केवल 15 वर्षों के लिए वैध था, 11 दिसंबर, 2016 के बाद किसी भी प्रकार से चीन जन. गण. किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य विशेष के घरेलू कानून के अंतर्गत वर्गीकृत है, सामान्य मूल्य चीन के निर्यातकों की कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने ईसी-फास्टनर्स[11] में पुष्टि की है कि कोई डब्ल्यूटीओ सदस्य देश पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्देछ 2 में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य के निर्धारण संबंधी मानक नियमों की अनदेखी करने में सक्षम नहीं होगा।

ग. चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य कोरिया गणराज्य में उत्पादन लागत/घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को केवल तभी सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अन्य विकल्पों पर भरोसा करना चाहिए जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने कीमत या परिकलित मूल्य संबंधी सूचना उपलब्ध न हो।

घ. सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तावित यूरोपीय संघ (इटली) से आयात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इटली और चीन जन. गण. के विकास का स्तर तुलनीय नहीं है। चीन की प्रति व्यक्ति जीएनआई यूरोपीय संघ की लगभग आधी है।

ड. भारत को यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत प्रतिनिधि निर्यात कीमत नहीं है क्योंकि उसका एक अलग बाजार है, जहां आवेदक और आयात मौजूद नहीं हैं। सामान्य मूल्य आवश्यक समायोजनों के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

च. यूरोप संघ से भारत को निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए कोई समर्पित एचएस कोड उपलब्ध नहीं है।

छ. तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत भारत सहित ऐसे तीसरे देश से औसत निर्यात कीमत के रूप में मानी जानी चाहिए। केवल भारत को निर्यात कीमत पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है।

ज. यूरोपीय संघ में उत्पादन लागत अधिक है और इसलिए निर्यात कीमत भी अधिक और अप्रतिनिधि है।

---

[11] चीन से कतिपय लोहा और इस्पात फास्टनर्स पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय - 289 अपीलीय निकाय रिपोर्ट, यूरोपीय समुदाय, डब्ल्यूटीओ डीओसी डब्ल्यू.टी./डीएस397/एबी/आर (28 जुलाई, 2011 को स्वीकृत)

झ. यूरोपीय संघ से आयातित संबद्ध वस्तु चीन से आयातित संबद्ध वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करती है।

ञ. नियमावली में कीमत शब्द के प्रयोग पर विशेष जोर देने की जरूरत है और ऐसी कीमत केवल एक देश को निर्यात कीमत नहीं हो सकती है।

ट. ऐसे किसी तीसरे देश से किसी एक देश को निर्यात कीमत उस कीमत को नहीं दर्शा सकती है जो उस देश में दी गई हो और आवेदक का दावा कानूनी या तथ्यात्मक रूप से न्यायोचित नहीं है।

ठ. असंगत व्याख्या का मुद्दा माननीय सेस्टेट द्वारा निपटाया नहीं गया है और यह नई जांच के लिए खुला है।

ड. माननीय सेस्टेट ने कुतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि० बनाम यूओआई[12] मामले में दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण पर विचार किया था, परंतु यहां उठाया गया मामला विशिष्ट रूप से इस मुद्दे को ध्यान में नहीं रखता है।

ढ. चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से आयात कीमत के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि इनके अलग-अलग लक्ष्य बाजार और अनुपालन अपेक्षा है।

ण. प्राधिकारी को इटली के मामले में आयात आंकड़ों के स्रोत, संगत टैरिफ शीर्ष सीआईएफ आयात कीमत समायोजन और अंतिम परिकलित सामान्य मूल्य का प्रकटन करना चाहिए क्योंकि यह सूचना गोपनीय नहीं है।

त. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लि० ने सामान्य मूल्य में समायोजन का दावा नहीं किया है क्योंकि सामान्य मूल्य वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित नही हुआ है

थ. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लि० द्वारा उनकी निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजन भारत में उनके निर्यातों से संबंधित हैं। समद्री भाड़ा और वायु भाड़ा दोनों समायोजनों का दावा किया गया है क्योंकि उत्पाद की आपूर्ति समुद्री तथा वायु दोनों मार्गों से की गई है।

द. सिचुआन जाइली फार्मास्यूटिकल कं. लि० ने सूचना प्रस्तुत करने में समय की कमी के कारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

ध. सिचुआन जाइली फार्मास्यूटिकल कं. लि० ने समुद्री मार्ग से अपने समस्त आयात किए हैं। इसलिए समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा की सूचना दी गई है।

न. डाइवुंग ने समुद्री भाड़ा क्षेत्र में वायु भाड़े को रिपोर्ट किया है क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर में कोई वायु भाड़ा क्षेत्र उल्लिखित नहीं था।

---

[12] 2020 एससीसी ऑनलाइन सेस्टेट 143

प. डाइवुंग ने सौदा-वार आधार पर शुल्क वापसी के तहत प्राप्त लाभ की सूचना दी है। इनपुट चार्ट के प्रयोग द्वारा उसे परिकलित किया गया है जिसमें निर्यात घोषणा संख्या और इनपुट राशि तथा शुल्क मूल्य शामिल हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. 11 दिसंबर, 2016 को केवल चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधानों की अवधि समाप्त हुई किंतु अनुच्छेद 15(क)(i) लागू रहा जिसमें उत्पादकों को यह दर्शाना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं। प्राधिकारी ने यदि उत्पादक/निर्यातक यह न दर्शाएं कि वे बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं, तो हाल की सभी जांचों में चीन जन. गण. पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किया है।

ग. चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत के तत्व जांच के अधीन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा रखे गए रिकार्डों में उचित और पूरी तरह प्रदर्शित होते हैं।

घ. देश के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूचियां या वाणिज्यिक बीजक वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसलिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

ड. सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री तथा घरेलू उद्योग की अन्य परिवर्तन लागतों और तर्कसंगत लाभ के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

च. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से मेलामाइन की पूर्ववर्ती जांच में भी भारत को कतर से निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और उसे सेस्टेट ने स्वीकार किया था।

छ. प्राधिकारी को कुतुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में[13] सेस्टेट ने माना था कि जब सामान्य मूल्य निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित होता है तो विकास का स्तर प्रासंगिक नहीं है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि पैरा 7 के अधीन सामान्य मूल्य पर सभी देशों से निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए, त्रुटिपूर्ण है और इसका कोई कानूनी या आर्थिक आधार नहीं है। प्राधिकारी के लिए किसी देश विशेष को किसी तीसरे देश से निर्यात कीमत पर विचार करना अपेक्षित है।

झ. कोरिया से उत्पादक को यह दर्शाना चाहिए कि प्राप्त शुल्क वापसी केवल संबद्ध वस्तु के उत्पादन में खर्च की गई थी। उनके द्वारा इनका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

ञ. संबद्ध देशों से उत्पादकों ने सामान्य मूल्य में दावा किए गए समायोजनों से संबंधित सूचना के संबंध में प्रश्नावलियों में पर्याप्त उत्तर नहीं दिया है।

ट. प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा की अनुमति दी है चूंकि पीयूसी एक उच्च कीमत उत्पाद है इसलिए इसे अधिकांशत: वायु मार्ग से भेजा गया है अत: समद्री भाड़ा के दावों की जांच की जानी चाहिए।

ठ. चीन की कीमत और यूरोपीय कीमत के बीच केवल अंतर नहीं है बल्कि इन उत्पादकों की घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच भी अंतर है। ऐसे अंतर के पीछे कारण संबद्ध वस्तु का पाटन है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"*i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

---

[13] संबंधित नोट 12

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबंध में निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:-

i. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी, चीन जन.गण. ("बेलिंग")

ii. सिचुआन जिली, चीन जन.गण. ("जिली")

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. फार्मासिनो कं., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("फार्मासिनो")

v. हांगझोऊ डावन रे फार्मास्यिुटिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण. ("डावन रे")

vi सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्यिुटिकल कं., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("तियानलु")

vii. डाइवूंग बायो इन्कोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य ("डाइवूंग")

च.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे

अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) *यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

(ii) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

(ख) *एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।*

(ग) *आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप*

पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) *आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

39. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रुप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध

उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।"

40. इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां यह संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करते हुए यदि आवश्यक हो तो विधिवत् रूप से समायोजित करके किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को पैरा 7 के अनुबंध I के अधीन प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

41. आवेदक ने भारत को यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी, ने जांच शुरुआत के स्तर पर चीन जन.गण. के लिए परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया था।

42. प्राधिकारी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के मौजूदा न्याय-शास्त्र और *शेनयांग मस्तसुशिता एस.बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड*[14] *में माननीय उच्चतम न्यायालय, मैसर्स सेंचरी प्लाईवुड (आई) लिमिटेड तथा अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य*[15] *में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारतीय संघ मामले में सेस्टेट, मुख्य पीठ, नई दिल्ली, कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ*[16] *के निर्णय को नोट करते हैं।* ये निर्णय उचित विकल्प और उससे जुड़े

---

[14] 2003 एससीसी ऑनलाइन सेस्टेट 414

[15] 2022 एससीसी ऑनलाइन गौ 643

[16] उपर्युक्त नोट 12

दायित्विों के चयन के संबंध में इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निदेश प्रदान करते हैं।

43. पहली अपेक्षा के रूप में प्राधिकारी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना अपेक्षित है। तथापि, न तो आवेदक और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधी कोई सूचना प्रदान की है। इसके अलावा, इस संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला विकल्प ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क एचएस कोड नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के पास भारत में आयातों के संबंध में सूचना उपलब्ध है। प्राधिकारी ने सौदावार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि भारत में यूरोपीय संघ से काफी आयात हुए हैं। यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के लगभग 47 प्रतिशत आयात हुए हैं और यूरोपीय संघ के विरुद्ध कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से आयातों पर वर्तमान जांच में पाटित आयातों के रूप में विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, इस संबंध में कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ[17] के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय को भी नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जहां सामान्य मूल्य भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश के निर्धारण के लिए संगत मापदंड ऐसे देश से निर्यातों की मात्रा है और यह कि वह देश जांच अवधि के दौरान पाटन न कर रहा हो।

44. यह तर्क दिया गया है कि यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण सामान्य कीमत के आधार पर किया जा रहा हो तब सभी देशों को निर्यात कीमत पर विचार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय सेस्टेट ने पहले ही जांच में पाटित आयातों के रूप में विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, इस संबंध में कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ[18] के मामले में इस

[17] आईडी

[18] आईडी

मुद्दे का निपटान कर दिया है जिसमें प्राधिकारी ने कतर से भारत को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था। न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी की थी कि:

> *47. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 1995 नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित दूसरी पद्धति का उपयोग कर सामान्य मूल्य के निर्धारण में कोई त्रुटि भी नहीं है क्योंकि किसी भी पक्षकार ने पैरा 7 में निर्धारित प्रथम मानदंड को लागू करने का सुझाव नहीं दिया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया कि कतर से निर्यात मात्रा के मामले में चीन के बाद है और चीन की मात्रा 30303 मीट्रिक टन थी और कतर की मात्रा 16479 मीट्रिक टन थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रकटन विवरण में ब्यौरा दिया गया है जिसे फिर से उपर्युक्त अनुच्छेद 39 में दिया गया है। कोई पाटनरोधी शुल्क कतर से इन वस्तुओं पर नहीं लगाया गया था और न ही कोई पाटनरोधी जांच चल रही थी और, इस कारण से, संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य आवश्यक समायोजन करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से निर्धारित किया गया था।*

45. इस प्रकार, जबकि सामान्य मूल्य का परिकलन, सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय के संबंध में अपेक्षित नहीं है। हालांकि, उपर्युक्त के बावजूद, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के (घरेलू उद्योग और विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार दोनों) के अनुरोध को नोट करते हैं जिसमें यह तर्क दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन से आयात की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तु एक ही बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा VII यथा-निर्दिष्ट 'भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान योग्य कीमत' के संबंध में निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य की गणना बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ के लिए उचित योग के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

46. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का मुख्य रूप से निर्यात वायु मार्ग से किया जाता है और इस कारण से समुद्री भाड़े और समुद्री बीमा के दावे की जांच की जानी अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने कोरिया गणराज्य से उत्तर देने वाले उत्पादक का स्थल पर सत्यापन किया है। सभी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह देखा गया था कि संबद्ध वस्तुओं का निर्यात परिवहन के दोनों माध्यमों से किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी

ने एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत का निर्धारण करने में निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक भाड़े पर विचार किया है।

<u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

क. <u>झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक और निर्यातक)</u>

47. झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड(झोंगशान), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** **अमरीकी डॉलर** मूल्य पर *** किलोग्राम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पत्तन और अन्य व्यय तथा ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और झोंगशान द्वारा किए गए दावे की जांच की है और तदनुसार, इन दावों की अनुमति दी गई है। तदनुसार झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बादे की गई है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. सिचुआन जेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कं. लिमिटेड (निर्यातक)

48. सिचुआन जियेलि फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड (सिचुआन), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपनी लिमिटेड(सिनोब्राइट) के ज़रिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। निर्यातकों ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** **अमरीकी डॉलर** मूल्य पर *** **किलोग्राम** वस्तु का निर्यात किया है। सिचुआन और सिनोब्राइट ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और सिचुआन और सिनोब्राइट द्वारा किए गए दावे दावे की जांच की है और तदनुसार, दावे की अनुमति दी गई है। तदनुसार

सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ग. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक), और हांगझोऊ डान रे फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड और फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) (निर्यातक)

49. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड (सुझोऊ), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को संबद्ध वस्तुओं का सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने हांगझोऊ डान रे फार्मास्युटिकल कंपनी, लिमिटेड(डान रे) और फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांग्सु) (फार्मास्युटिकल्स) के ज़रिए निर्यात किया है। सुझाउ ने डान रे और फार्मासिनों के जरिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** **अमरीकी डॉलर** मूल्य पर *** **किलोग्राम** वस्तु का निर्यात किया है। सुझाऊ, डान रे और फार्मासिनों ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार और क्रेडिट लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और सुझाऊ, डान रे और फार्मासिनो द्वारा किए गए दावे की जांच की है और तद्नुसार, दावे की अनुमति दी गई है। तद्नुसार सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का प्रस्ताव **फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांग्सु)** द्वारा उठाई गई हानि सहित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित किए जाने का है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में है।

घ. अन्य उत्पादक

50. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

सामान्य मूल्य

क. **<u>डेवूंग बायो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य</u>**

51. डेवूंग बॉयो इनकोरपोरेटेड (डेवूंग) जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उत्पादक ने *** प्रति किलोग्राम*** अमरीकी डॉलर की बिक्री कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का *** बिक्री की है जिसमें से बड़ा हिस्सा अर्थात *** किलोग्राम अपने संबंधित प्रतिष्ठान अर्थात डेवूंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य को एक विशेष कीमत पर बेचा गया है और शेष मात्रा अर्थात *** किलोग्राम कोरिया गणराज्य में सीधे तौर पर असंबंधित पक्षकारों को ***किलोग्राम/अमरीकी डॉलर की कीमत पर बेची गई है।

52. उनके संबंधित पक्षकार अर्थात डेवूंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड को बेची गई वस्तु की एक्स फैक्टरी बिक्री कीमत प्राधिकारी द्वारा अन्य देशों को औसत बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम कीमत पर होना नोट किया गया था। इस कारण से, संबद्ध प्रतिष्ठान के माध्यम से इन वस्तुओं की बिक्री पर प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में विचार नहीं किया गया है।

53. भौतिक सत्यान के आधार, पर यह नोट किया जाता है कि संबंधित पक्षकार को डेवूंग बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हुई हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हो तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है। डेवूंग का 80 प्रतिशत घरेलू बिक्री लाभप्रद थी और इस इस कारण से सभी असंबंधित बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है।

54. डेवूंग ने अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों - आने वाली सभी दावे की सूची के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादक का भौतिक सत्यापन किया है और उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा किए गए दावों की जांच की है और उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा किए गए दावे की अनुमति दी गई है।

55. तदनुसार, डेवूंग के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर सामान्य मूल्य का उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेखन नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका किया गया है।

ख. <u>अन्य उत्पादक</u>

56. कोरिया गणराज्य के सभी अन्य सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

क. <u>डेवूंग बायो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य</u>

57. उत्पादक ने भारत को सीधे निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तुओं का निर्यात किया है। डेवूंग ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना दी है और समुद्री भाड़ा, कमीशन, पैकेजिंग लागत, शुल्क वापसी, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभारों - आगे आने वाले सभी दावों की सूची के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादक का भौतिक सत्यापन किया और प्रतिवादी उत्पादक द्वारा किए गए दावे की जांच की है और प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा किए गए दावों की अनुमति दी है।

58. तदनुसार, डेवूंग के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. <u>अन्य उत्पादक</u>

59. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.5 पाटन मार्जिन

60. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

<u>पाटन मार्जिन</u>

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		यूएसडॉ./कि.ग्रा.	यूएसडॉ./कि.ग्रा.	यूएसडॉ./कि.ग्रा.	%	रेंज
1	**चीन जन.गण.**					
क	झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड	***	***	***	***	130-140
ख	सिचुआन जिएली फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	120-130
ग	सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	150-160
घ	अन्य	***	***	***	***	210-220
2	**कोरिया गणराज्य**					
क	डेवूंग बायो इनकारपोरेटेड	***	***	***	***	50-60
ख	अन्य	***	***	***	***	70-80

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

61. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपयुक्त आकलन करना ही चाहिए और गैर-आरोपण अपेक्षा पर यूएस-हॉट रोल्ड स्टील[19] में अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करना ही चाहिए।

ख. एसईजेड क्षेत्रों में और अग्रिम अधिकरण/शुल्क वापसी के अन्तर्गत आयातों को ऐसे घरेलू बाजार से स्वत: बाहर नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के पृथ्थकरण का कानून द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है और न ही यह प्राधिकारी[20] की निरंतर विगत कार्य-पद्धति है।

ग. एसईजेड के अन्दर आयातों को क्षति के विश्लेषण से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने निरंतर रूप से यह माना है कि इस प्रकार की ईकाइयां घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट इकाई है।

घ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदक के कच्चे माल की कीमतों, जो संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से अधिक है के पीछे के कारण की जांच करें।

ड. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कच्चे मालों और जांच की अवधि के दौरान आयात किए गए उत्पादों की कीमत की प्रवृत्ति की तुलना की है। संबद्ध वस्तुओं की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत से की जानी चाहिए।

च. आयात कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है और यह पाटन के कारण नहीं हुई। क्षति की अवधि में कच्चे माल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक कमी आई। तदनुसार कोरिया गणराज्य के उत्पादकों ने अपनी कीमतें कम की हैं और इस उत्पाद की आपूर्ति उचित कीमतों पर की है।

छ. यह आशा नहीं की जा सकती है कि चार वर्षों की अवधि में वस्तुओं की बिक्री कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्यात कीमत में गिरावट के फलस्वरूप संबद्ध वस्तु के पाटन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। झोंगशान भारत को निर्यात बिक्री पर लाभ अर्जित कर रहा है और उसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

ज. चीन जन.गण. से आयात मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए आवश्यक है।

---

[19] निकाय की रिपोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका –जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क, डब्ल्यूटीओ डॉक। डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर (23 अगस्त, 2001 को अंगीकृत)।

[20] चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए फ्लूरो बैकशीट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम का 32 और 37, फा.सं. 06/03/2022 दिनांक 29.03.2022.

झ. चीन जन.गण. से आयात भारत में मांग के अनुरूप रहा है। वर्ष 2019-20 की तुलना में, चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। कोई भी वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में नगण्य है।

ञ. कोरिया गणराज्य से आयात पाटित आयातों की मात्रा का केवल पाचवां हिस्सा है। इसके विपरीत, चीन से आयात कुल मात्रा का चौथा-पाचवां है। इस कारण से, आयातों की संचयी रूप से जांच नहीं की जा सकती है।

ट. कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान तीव्र गति से गिरावट आई है जबकि उसनमें चीन जन.गण. से काफी हद वृद्धि हुई है।

ठ. कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक कीमत पर किया जा रहा है।

ड. कीमत में नकारात्मक कटौती का आशय यह है कि घरेलू उद्योग निम्नतम आयात कीमत से कम कीमत पर इन वस्तुओं को उपलब्ध करा रहा है और इसके कारण विदेशी निर्यातकों को कीमत में क्षति हो रही है।

ढ. कीमत में नकारात्मक कटौती का आशय यह है कि आवेदक भारतीय बाजार में उच्चतर कीमत पर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपलब्ध करा सकता है।

ण. आवेदक ने निम्नतम कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराने के लिए कारणों का उल्लेख नहीं किया है जब संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत हमेशा काफी हद तक ऊपर रही है।

त. बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से कम है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों के कारण कीमत पर कोई दबाव अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

थ. यदि चीन जन.गण. से कम कीमत पर आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर दबाव पड़ रहा होता तब इस प्रकार के आयातों के कारण गैर-संबद्ध देशों से भी आयातों की कीमतों पर दबाव पड़ा होता। गैर-संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति की समग्र अवधि के दौरान लगभग वही रहा है।

द. भारत एक कीमत संवेदीशील बाजार है। आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कीमतों से मांग प्रभावित होती है। इस कारण से, यदि कम कीमत पर मालसूची उपलब्ध कराए जाने के बावजूद आवेदक की मालसूची में वृद्धि हुई है तब ऐसा इसलिए होता है कि ग्राहक आवेदक से संबद्ध वस्तु की खरीद नहीं कर रहे हैं।

ध. यदि घरेलू उद्योग का यह दावा है कि इसे कम कीमत पर संबद्ध आयातों के कारण निरंतर रूप से कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है तब उसे भारत में आयातों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि, यह कम कीमतों पर भी समान वस्तु की बिक्री करने के लिए सक्षम नहीं है और इसकी मालसूची उत्पाद के कम सेल्फ-जीवन होने के बावजूद बढ़ गई है।

न. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कच्चे माल की कीमत में किसी सदृश्य वृद्धि के बिना वृद्धि हुई है। जबकि कच्चे माल की कीमत में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, बिक्री की लागत में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

प. आवेदक ने कम कीमत पर आयातों के अनुरूप करने के लिए अपनी कीमतें कम की हैं। यह आशा की जाती है कि चूंकि समान वस्तु की कीमत में कमी आती है। अत: आवेदक के बाजार हिस्से में वृद्धि होने की आशा है। हालांकि, आवेदक कम कीमतों पर भी उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं है।

फ. आवेदक अपने ही अनुरोधों का खंडन कर रहा है। एक ओर यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने आयात कीमतों के अनुरूप करने के लिए छूट की पेशकश कर अपनी कीमतों में कमी की और दूसरी ओर, यह दावा कर रहा है कि यह अपने उत्पादन को बंद करने के लिए बाध्य था क्योंकि यह अनुचित प्रतिस्पर्धा, जिसका इसे संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों से करना पड़ा, के कारण अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं था।

ब. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में केवल दो महीने उत्पादन किया है और केवल एक महीने बिक्री की है।

भ. घरेलू उद्योग ने उत्पादन में इस अस्थगन के लिए उपयुक्त कारण नहीं बताया है। यह उत्पादन कम उठाव और अपेक्षाकृत अधिक माल की मात्रा के कारण अस्थगित किया गया था।

म. चार वर्ष और तीन महीने (कुल 51 महीने) की कुल क्षति अवधि में से घरेलू उद्योग ने केवल 26 महीने तक समान वस्तु का उत्पादन किया है।

य. घरेलू उद्योग ने 15 महीने की अवधि में से केवल 7 महीने उत्पादन किया है।

कक. इस उत्पाद का उपयोग औषधीय उद्देश्यों से किया जा रहा है और इसका सीमित सेल्फ-जीवन है। इस उत्पाद की जमा मालसूची बिक्री करने की प्रभावोत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

खख. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष के दौरान तथा क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

गग. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया और यह एक नया उद्योग है। घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आरंभिक दिक्कतों, जो आरंभिक अवधि के दौरान सामान्य बात है, के कारण है।

घघ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बताता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

डड. मालसूची के जमा होने के कारण आवदेक द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं हुआ है।

चच. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में परिवर्तन के संबंध में आंकड़े इस अनुमान पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि क्षति का कोई दावा नहीं किया गया है। इस आवेदन में खामियां हैं।

छछ. घरेलू उद्योग ने न्यूनतम कीमत पर समान वस्तु उपलब्ध कराने के बावजूद मालसूची में वृद्धि का दावा किया है, यह दर्शाता है कि ग्राहक न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग स संबद्ध वस्तुओं की खरीद नहीं कर रहे हैं।

जज. यह तुलना आयात किए गए उत्पाद और घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत के बीच अनन्तिम जांच निष्कर्षों के अनुच्छेद 64 में की गई तुलना त्रुटिपूर्ण है। उचित तुलना में उत्पादकों की निर्यात कीमत और उनके कच्चे माल की कीमत का विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

झझ. घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की गई कच्चे माल की कीमत अनुचित रूप से अधिक है और प्राधिकारी को उसके पीछे के कारण की जांच करनी चाहिए।

ञञ. लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सेस्टेट ने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि 22 प्रतिशत प्रतिफल सही नहीं है। यूरोपीय संघ की कार्य-पद्धति के अनुसार लाभ का मार्जिन प्रतिफल की गणना कर निकाली जानी चाहिए जब कोई पाटन नहीं हुआ था।

टट. क्षति रहित कीमत और शुल्क की सिफारिश *सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (आई) लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य*[21] में गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप आईएनआर के संदर्भ में की जानी चाहिए।

ठठ. कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण है और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का पता लगाना चाहिए।

डड. घरेलू उद्योग द्वारा कथित रूप से उठाई गई क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।

---

[21] उपर्युक्त नोट 15

ढढ. घरेलू उद्योग ने आदर्शतम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं लेकिन क्षति की जांच की जानी चाहिए, जैसा कि यह[22] में है और न कि आदर्शतम आधार पर जांच की जानी चाहिए। आवेदक ने मानकीकृत आंकड़ों के संबंध में पद्धति प्रकट नहीं की है।

णण. बिक्री की मात्रा में गिरावट और बढ़ी हुई मालसूची के लिए प्राथमिक कारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद की निम्नतम गुणवत्ता को छोड़कर कोई अन्य कारण नहीं है।

तत. बाजार हिस्से के लिए अपने विश्लेषण में प्राधिकारी ने घरेलू बाजार को दो खंडों-

(क.) घरेलू खपत के लिए फार्मूलेशन की अंतिम बिक्री के लिए यूडीसीए और (ख) निर्यात बाजार में फार्मूलेशन की अंतिमत बिक्री के लिए यूडीसीए में प्रभावी रूप से विभाजित किया है।

थथ. यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में यूरोपीय यूनियन से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग और चीन जन.गण. से आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है तब प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से भारत में यूरोपीय यूनियन से निर्यात कीमत पर विचार नहीं कर सकते हैं।

दद. घरेलू उद्योग के खर्च में 2,74,403 लाख के आपवादिक मद निहित हैं। प्राधिकारी को उसकी जांच करनी चाहिए।

धध. इटली से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में घातीय रूप से वृद्धि हुई है, यद्यपि उनकी कीमतें काफी हद तक अधिक हैं। इस कारण से, कुछ अन्य कारक हैं जिन पर ग्राहक कीमत की तुलना में विचार कर सकते हैं।

नन. घरेलू उद्योग को गैर-प्रचालन संबंधी शेष तीन निर्माण स्थलों के लिए अतिरिक्त निर्धारित लागत और अनुरक्षण लागत वहन करेंगे और इसकी लागत को क्षतिरहित कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का निर्माण केवल एक स्थल में किया जाता है।

पप. घरेलू उद्योग अनेक उत्पादों का निर्माण करता है और इसे कुल मिलाकर हानि उठानी पड़ती रही है।

---

[22] चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइट' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फा.सं.6/35/2020-डीजीटीआर। चीन जन.गण., इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'पोलिएस्टर यार्न पोलिएस्टर स्पन यार्न' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फा.सं.6/10/2020-डीजीटीआर

फफ. घरेलू उद्योग का हानि का इतिहास है क्योंकि इसे तब भी घाटा हुआ था जब कोई पाटित आयात नहीं हुआ था। वर्तमान हानि के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

बब. जांच की अवधि में मालसूची में वृद्धि 2019-20 के बढ़ी हुई मालसूची के कारण है। इसके अलावा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा हाल की जांच[23] में टिप्पणी की गई है, यदि घरेलू बाजार आवेदक के लिए अर्थक्षम नहीं था तब यह अपने द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को अन्य बाजारों को निर्यात कर सकता था।

भभ. आवेदक को कुप्रबंधन के कारण विगत से हानि हो रही है और वह क्षति की वर्तमान अवधि में भी मौजूद है।

मम. बीआईएफआर के अन्तर्गत सूची से हटाने और पुनर्वासन प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी विगत व्यापार की असफलता के इतिहास पर विचार करते हुए, आवेदक के समग्र व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता की जांच करना आवश्यक है।

यय. घरेलू उद्योग ने बहुत अधिक ऋण जमा कर लिया था और उसे बीआईएफआर आदेश के द्वारा एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया था। सीडीआर, बीआईएफआर और बंद करने संबंधी याचिका जैसे विभिन्न उदाहरणों के कारण, 2013-2016 के बीच व्यापार पूर्ण रूप से रुक गया था।

ककक. घरेलू उद्योग ने मैसर्स जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ पुनर्गठन संबंधी करार किया है जिसे 31.03.2024 तक की अवधि तक अनुमोदित किया गया है।

खखख. आवेदक को आरंभ से ही हानि होती रही है और इसने मैसर्स जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सहयोग से पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की है और अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

गगग. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का कारण ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए कंपनी की असमर्थता, कमजोर निवल पूंजी की स्थिति, पुनर्गठन योजनाएं आदि हैं।

घघघ. घरेलू उद्योग ने 2020-21 के अंत तक ऋण पर 780.54 लाख भारतीय रुपए का ब्याज भुगतान नहीं किया है और वित्तीय संस्था के बकाया का भुगतान नहीं किया गया जो वर्ष 2020-21 के अंत में 8,989.13 लाख भारतीय रुपए है।

---

[23] यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टीडीआई के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में 109, 228 अंतिम जांच परिणाम, मामला सं. एडीडी (ओ.आई) 34/2019।

ङ.ङ.ङ. घरेलू उद्योग द्वारा लिया गया कुल ऋण इसकी कुल इक्विटी से गैर-अनुपातिक रूप से लगभग दस गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा है।

चचच. घरेलू उद्योग द्वारा बट्टे खाते डाला गया डूबा हुआ ऋण प्रचालन से इसके कुल राजस्व से अधिक है। इस प्रकार के डूबे हुए ऋण का बढ़ना और डूबे हुए ऋण को बट्टे खाते डालना सतत व्यापार प्रचालन का संसूचक नहीं है।

छछछ. घरेलू उद्योग के 8 में से केवल 5 संयंत्र प्रचालन से संबंधित हैं। शेष 3 स्थलों को बंद करने के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

जजज. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत में जांच की अवधि के बाद की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में आंकड़ों की जांच मूल जांच में नहीं की जाती है।

झझझ. घरेलू उद्योग ने मांग और आयात के संबंध में अद्यतित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना भारतीय उद्योग का विश्लेषण तथा आवेदक को क्षति और इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण संसूचक होगा।

ख. संबद्ध देशों से आयातों में 2017-18 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरु करने और यूरोपीय संघ से आयातों में वृद्धि के कारण वर्ष 2018-19 में गिरावट आई। तत्पश्चात, वर्ष 2019-20 में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है और जांच अवधि में और अधिक वृद्धि हुई।

ग. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादकों के आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

घ. जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट के साथ तेजी से वृद्धि हुई है।

ङ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उस हिस्से से काफी कम है, जिसे वह पूरा करने में सक्षम है।

च. बिक्री मात्रा, उत्पादन अथवा क्षमता उपयोग, इन सभी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह वृद्धि स्वाभाविक थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में ही उत्पादन शुरु किया था।

छ. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान वार्षिक रूप से अपनी क्षमता के 30% प्रतिशत का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं रहा है।

ज. उत्पादन और बिक्री में मामूली वृद्धि भी इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग बाजार में न्यूनतम कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री कर रहा है।

झ. उत्पादन की इष्टम लागत पर भी घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ कमाया है, जो 2019-20 में बढ़ गया है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ था और इसके फलस्वरूप जांच की अवधि में हानि हुई है।

ञ. नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 2019-20 में इसमें कमी आई है और यह नकारात्मक हो गया है। इन मापदंडों में आगे जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ट. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित अंशदान 2018-19 तक सकारात्मक था. परंतु वर्ष 2019-20 और जांच की अवधि में भी यह ऋणात्मक हो गया।

ठ. औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। जांच की प्रस्तावित अवधि में अंतिम मालसूची वार्षिक घरेलू बिक्रियों का लगभग 40 प्रतिशत थी।

ड. घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जबकि कीमत मापदंडों में इसकी वृद्धि ऋणात्मक रही है।

ढ. कीमत कटौती चीन जन.गण. के लिए सकारात्मक और कोरिया गणराज्य के लिए नकारात्मक रही है। कुछ महीनों में चीन जन.गण. के लिए कीमत कटौती 26 प्रतिशत से रही है।

ण. संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती मामूली रूप से ऋणात्मक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग को बाजार में बिक्री के लिए संबद्ध देशों से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं से इसकी कीमतों के अनुरूप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

त. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर काफी आयात हुए हैं।

थ. कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

द. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

ध. जबकि यूरोपीय यूनियन से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक हैं, ऐसे आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से काफी अधिक रही है।

न. मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और मांग में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

प. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की कमी, बिजली की कमी, किसी कर अंतर के प्रभाव, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश संबंधी बाधाओं आदि से संबंधित समस्याओं के कारण संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री के संबंध में किसी बाधा का सामना नहीं किया है।

फ. वर्ष 2013 और 2018 में घरेलू उद्योग को एसआईसीए अधिनियम के अनुसार एक 'रुग्ण' इकाई के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि एसआईसीए अधिनियम निरस्त कर दिया गया था और घरेलू उद्योग उसकी परिधि से बाहर आ गया। इसके अलावा, क्रेडिटर्स की सिफारिशों के बाद, घरेलू उद्योग का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वर्ष 2020 से 2022 तक सुधार हुआ है।

ब. आवेदक का प्रचालन अब वर्ष-दर-वर्ष राजस्व में उत्साहजनक वृद्धि के साथ ईबीआईटीडीए धनात्मक हो गया है। आवेदक ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में धनात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज किया है।

भ. 2744 करोड़ रु. की राशि की आपवादिक मदें ऋण को वापस लिखे जाने के कारण हुई थी। यह पुनर्गठन की प्रक्रिया के अनुरूप थी जिसे कंपनी द्वारा जेएमएफएआरसी के समन्वय से किया गया था जिसके फलस्वरूप कंपनी का ऋण अपेक्षाकृत कम और सतत हो गया।

म. कोरिया से आयातों की मात्रा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया है, कम बताया गया है। कोरिया में केवल एक उत्पादक है और प्राधिकारी कोरिया के उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से आवेदक के दावे का सत्यापन कर सकते हैं।

य. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने के बाद बहुत अधिक गिरावट रही हुई है।

कक. इस कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि कीमत में कटौती तथा कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण, दोनों की जांच घरेलू उद्योग पर कीमत के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया ही जाना चाहिए। कानून के अनुसार, केवल एक जांच की जानी चाहिए चाहे वह कीमत में कटौती हो अथवा कीमत ह्रास या न्यूनीकरण।

खख. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अस्थिर रही है क्योंकि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव है। यह आगे ग्राहकों को घरेलू उद्योग के साथ कीमतों का मोल-भाव करने के लिए आगे बढ़ा रहा है।

गग. घरेलू उद्योग की मालसूची की धारिता बढ़ती रही है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत कम हो रही है। विचाराधीन उत्पाद कम सेल्फ-जीवन के

साथ अधिक मूल्य का है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है और वह अपने उत्पादन को रोकना है।

घघ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लगातार पाटन और आयात कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए बाध्य हुआ है। इसके फलस्वरूप, वित्तीय हानि, नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल मिला है।

ङङ. कंपनी का कुल मिलाकर निष्पादन इस जांच में असंगत है क्योंकि इस नियमावली में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत की गणना में कार्यशील पूंजी पर वित लागत प्रभावित किया है।

चच. जांच की अवधि की बाद की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

छछ. कोरिया की सरकार द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि किस प्रकार से संचयी आकलन उपयुक्त नहीं है। केवल यह दावा कि कोरिया से आयातों का हिस्सा कुल आयातों में कमतर है, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जज. संबद्ध देशों से आयात एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। दोनों देशों से आयात समान वस्तु के हुए हैं। संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक ने अपने उत्पाद में किसी अंतर का दावा नहीं किया है।

झझ. दोनों संबद्ध देशों से आयातों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने ग्राहकों के उसी समूह को उत्पाद की बिक्री भी की है।

ञञ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत उसी अनुरूप बढ़ी है।

टट. आयात कीमत से निर्यात करने वाले उत्पादकों की कीमतों की तुलना करने का कोई कारण नहीं है। घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं क्योंकि उसकी खरीद असंबद्ध कंपनियों से की गई है। इसके अलावा, उन उत्पादकों का उत्तर स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि वे संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं।

ठठ. पुनर्गठन के पश्चात, आवेदक वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा, आवेदक 2013 की अपने डूबे हुए ऋण को बट्टे खाते में डालने में सक्षम रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि आवेदक में सुधार हो रहा है और यदि इस तरह के डूबे हुए ऋणों को समाप्त किया जाना होता तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आवेदक लाभ में है।

डड. आवेदक ने अपना उत्पादन रोक दिया है क्योंकि यह कच्चे माल की कीमतों से भी अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

ढढ. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि क्षतिरहित कीमत पर प्रतिफल की अनुमति 22 प्रतिशत की दर से नहीं दी जानी चाहिए, में कोई दम नहीं है क्योंकि प्राधिकारी इस अवधि, जब कोई पाटन नहीं हो रहा था, के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल के वास्तविक दर पर विचार किए बिना प्रत्येक मामले में प्राय: निरंतर रूप से 22 प्रतिशत की दर से प्रतिफल की अनुमति देते रहे है।

णण. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि के फलस्वरूप इस प्रकार के अधिक ऋण मात्राओं का संचयन हुआ है। हालांकि इस स्थिति में अब परिवर्तन हुआ है और घरेलू उद्योग ने बेहतर कार्य-निष्पादन दर्ज किया है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग का कुल ऋण कुल इक्विटी से बहुत अधिक मार्जिन से अधिक है, इसे आयातों से उपयुक्त उपचार प्राप्त करने से नहीं रोकता है।

तत. 825 करोड़ रु., जिसे वित्तीय वर्ष 2021 में बट्टे खाते डाला गया था की राशि का डूबा हुआ ऋण वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित था और उसे कंपनी द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वसूले जाने योग्य नहीं था। डूबा हुआ ऋण यूडीसीए से संबंधित नहीं है और इस प्रकार का व्यय आवेदक के साथ उपलब्ध कराए गए लागत प्रपत्रों में यूडीसीए लागत को प्रभावित नहीं किया गया है।

थथ. आवेदक वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक लाभ अर्जित कर रहा था और राजस्व ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। तथापि, 2013 में, कंपनी को विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने समग्र रूप से कंपनी की लाभप्रदता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।

दद. आवेदक ने वर्ष 2013 और 2016 के बीच किए गए अपने सभी प्रयासों के बावजूद इसे अपने प्रचालनों को जारी रखने के लिए कायम रखने योग्य नहीं पाया और अपने प्रचालनों को स्थगित किया तथा संयंत्रों को बंद किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 के दौरान, आवेदक ने विटालाइन प्रभाग, जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, सहित 8 में से 5 निर्माण स्थलों पर धीरे-धीरे प्रचालन फिर से शुरु किया है। घरेलू उद्योग ने इस संयंत्रों, जो प्रचालनरत नहीं हैं, से संबंधित किसी खर्च को प्रभावित नहीं किया है।

धध. इस उत्पाद की 24 महीने का सेल्फ-जीवन है और आवेदक ने कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं किया है जहां यह कम कीमतों पर बिक्री करने के

लिए बाध्य था क्योंकि इस उत्पाद का बहुत अधिक जीवन समाप्त हो गया था। हालांकि, कम सेल्फ जीवन और अधिक मालसूची के कारण आवेदक उत्पादन को स्थगित करने के लिए बाध्य था।

नन. कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के पीछे कारण यह तथ्य है कि उपभोक्ताओं ने पहले ही आर्डर कर दिया था और लदान बहुत बाद की तिथि में प्राप्त हुआ था। ग्राहक उन कीमतों के आधार पर आवेदक से समझौता करते हैं। अपने उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से, आवेदक घरेलू उद्योग के पास यह बिक्री करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा इसमें नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

64. पाटनरोधी पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और इस नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से संबद्ध आयातों को पाटनरोधी जांच के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध किया गया पाटन का मार्जिन व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है क्योंकि निर्यात कीमत का प्रतिशत और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता है, तथा

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

65. कोरिया के अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दोहरे आधार पर दो संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के संचयन का विरोध किया है कि कोरिया से आयात पाटित आयात मात्रा का केवल पाचवां हिस्सा है और इस कारण से वे चीन जन.गण. से आयातों से

प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है, निम्नलिखित मापदंड की जांच की जानी अपेक्षित है:

क. क्या विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद समान वस्तु हैं और गुणों के मामले में तुलनीय हैं?

ख. क्या घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए उत्पाद और आयात किए गए उत्पाद एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने लायक हैं?

ग. क्या घरेलू उत्पाद और आयात किए गए उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा अथवा आयात किए गए उत्पाद के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है?

घ. क्या उपभोक्ता घरेलू माल और आयात किए गए आयात का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं तथा निर्यातक और घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के उसी समूह को एक ही उत्पाद की बिक्री की है।

ड. क्या संबद्ध देशों से आयात कीमत उसी अनुरूप रहे हैं?

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

67. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वे घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करें।

68. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के उपयोगकर्ताओं ने इन दोनों स्रोतों से प्राप्त

वस्तुओं का उपयोग किया है। दो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमतें भी उसी अनुरूप रही हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वे चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करें।

69. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

70. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया कोरिया से संबद्ध आयातों की मात्रा कम है। प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और कोरिया के उत्पादकों द्वारा सूचित की गई मात्रा नीचे दर्शाई गई है:

क्र.सं.	**कोरिया से आयात**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार	कि.ग्रा.	3,462	9,122	9,860	10,075
2	याचिकाकर्ता के आंकड़ों के अनुसार	कि.ग्रा.	18,501	19,377	22,025	21,500
3	निर्यातक आंकड़ों के अनुसार	कि.ग्रा.	18,221	19,151	23,275	26,950

71. कोरिया के उत्तर देने वाले उत्पादक के परिसरों में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि भारत में किसी विशेष आयातक को कोरिया के उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों की समग्र मात्रा को डीजी प्रणाली आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया था। इसके फलस्वरूप, कोरिया से आयातों की मात्रा को कम सूचित किया गया था। चूंकि कोरिया से केवल एक उत्पादक है जिसने भारत को निर्यात किया है, प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की मात्रा पर विचार किया है जो कोरियाई उत्पादक द्वारा उनके उत्तर में रिपोर्ट किए गए निर्यात पर आधारित है। इसके अलावा, इस सूचना को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ विधिवत् मिलान किया गया है।

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रुग्ण इकाई के रूप में घरेलू उद्योग की घोषणा के संबंध में अनेक अनुरोध किए हैं और यह कि वह वर्ष 2013-2016 की अवधि के बीच प्रचालन करना बंद कर दिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रदत्त सूचना उस अवधि से संबंधित है जो क्षति अवधि से पहले थी। यह नोट किया जाता है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का 2016 में निरस्त हुआ था और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर बंद करने संबंधी आवेदन इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। इसके अलावा, बंद करने संबंधी सभी आवेदन जो आवेदक के विरुद्ध दायर किए गए थे 2018 तक वापस ले लिए गए थे। इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग की पूर्व रुग्णता के कारण कम हुई हो। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है और क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। उसकी जांच करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने केवल क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

73. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का हानि का इतिहास था जो विचाराधीन उत्पाद के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई वित्तीय चुनौतियां पूर्ण रूप से समान वस्तु के उत्पादन के शुरु होने से पहले की थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में इन लागतों को प्रभावित नहीं किया। इस कारण से, घरेलू उद्योग के पिछले इतिहास को विचाराधीन उत्पाद के प्रतिकूल कार्य-निष्पादन से जोड़ा नहीं जा सकता है।

74. आपूर्ति किए गए उत्पादों की निम्नतर गुणवत्ता के कारण आवेदक की मालसूची में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है।

75. यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का एक सीमित सेल्फ-जीवन है जो आवेदक की बिक्री कीमत को प्रभावित कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मालसूची के जमा होने के पीछे कारण पाटित आयातों की कम कीमत है। यह भी देखा गया है कि इस उत्पाद का 24 महीने का सेल्फ जीवन है। इस कारण से आवेदक मालसूची में वृद्धि के परिणाम के रूप में बिक्री करने के लिए बाध्य था। यह तथ्य घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के द्वारा हो रही क्षति की सीमा को सिद्ध करता है।

76. लगातार घाटे के कारण घरेलू उद्योग की दीर्घ अवधि व्यवहार्यता के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी स्तर पर घरेलू उद्योग का मौजूदा कार्य-निष्पादन वृद्धि को दर्शाया है। घरेलू उद्योग के राजस्व ने वर्ष-दर-वर्ष सुधार को दर्शाया है और घरेलू उद्योग ने कंपनी स्तर पर वर्ष 2021-22 में ह्रास के पूर्व धनात्मक आय दर्ज की है।

77. मानकीकृत आंकड़ों के जारी होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने मानकीकृत तथा वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराए थे, क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

78. सामान्य मूल्य के मुद्दे पर, यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का विचार नहीं किए जाने से संबंधित इस अनुरोध के बारे में कि यूरोपीय संघ और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु उसी बाजार खंड में कार्य नहीं करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए यूरोपीय यूनियन की कीमतों पर विचार नहीं किया है।

79. आरंभिक दिक्कतों जो घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकते थे, से संबंधित अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग चार वर्षों से अधिक से प्रचालन में रहा है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित अंशदान ऋणात्मक रहा है। वर्तमान में, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कच्चे माल की कीमत से बहुत अधिक हद तक कम कीमत पर करता रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह कम कीमत वाला संबद्ध

आयात है जिसने इतनी कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के लिए घरेलू उद्योग को बाध्य किया है।

80. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और बिक्री कीमत की जांच यह विश्लेषण करने के लिए की जानी चाहिए कि क्यों आवेदक कच्चे माल की लागत से कम कीमत पर बिक्री करते रहे हैं। कच्चे माल की कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*65*	*68*	*62*
2	पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	24,405	19,757	17,019	16,293
	प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*81*	*70*	*67*
3	कच्ची माल की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	90	93	89

81. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमत में केवल 11 सूचकांक तक गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में 33 सूचकांक तक गिरावट आई है। यह भी देखा जा सकता है कि आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में तथा जांच की अवधि से पूर्व के वर्ष में घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में लगातार गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आगे गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप अन्ततः ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें घरेलू उद्योग ने अपने कच्चे माल की लागत से भी बहुत अधिक कम कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री की।

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निर्यातकों की कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण आयात कीमत में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि जबकि कच्ची सामग्री की लागत में केवल 11 इंडेक्स प्वाइंट तक की ही गिरावट आई है, लेकिन संबद्ध आयातों की आयात कीमत में काफी अधिक दर से गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री का आयात किया है और इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को दर्शाती हैं। कोरिया गणराज्य से उत्पादक देवंगू बायो द्वारा दाखिल किए

गए उत्तर की जांच के दौरान, यह नोट किया गया है कि भारत को की गई कुल बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों की कच्ची सामग्री की कीमतों में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यहां तक कि प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों से भी सकारात्मक पाटन पाया गया है और पाटन मार्जिन काफी अधिक है। अतः यह तर्क कि आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण है, स्वीकार नहीं की जा सकती है।

83. इन अनुरोधों के संबंध में कि कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए प्रमुख कारण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब महामारी के प्रकोप के कारण देश व्यापी लॉकडाउन लग गया था, तो घरेलू उद्योग को फर्मास्यूटिकल सेक्टर में लगे रहने के कारण, जो कि आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है, उसे उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि कैसे महामारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डाला।

84. घरेलू उद्योग द्वारा समान दस्तु के अनियत उत्पादन पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में और कम क्षमता उपयोग के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि उत्पादन की सीमित शेल्फ लाइफ है और घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा उत्पादन की मात्रा से काफी कम रही, अतः घरेलू उद्योग को रूक-रूक कर अपना उत्पाद करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने कुछ माह में उत्पादन किया, जिसके कारण वस्तुसूची में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप, आगे का उत्पादन रूक गया। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि जब उत्पादन की मात्रा शुरू में कम रखी गई थी तो उत्पादन लगातार जारी रहा। मासिक रिकार्ड के आधार पर, यह नोट किया गया है कि आवेदक ने वस्तुसूची में तीव्र वृद्धि होने के कारण उत्पादन में काफी कमी की। आवेदक उत्पादन को बंद करने पर मजबूर हो गया था और काफी लंबी अवधि के लिए उत्पादन नहीं हुआ। तथापि यह नोट किया गया है कि जब उत्पादन बंद हो गया था, तो बिक्रियां जमा स्टॉक से जारी रही।

85. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा कम उत्पादन, पाटन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण नहीं हुआ है और इस कारण से लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना उपयुक्त होगा। इस कारण से, प्राधिकारी ने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया है।

क्रम सं.	अवधि	क्षमता	प्रारंभिक भंडार	उत्पादन	घरेलू बिक्री	अंतिम भंडार	क्षमता का उपयोग
		कि. ग्रा.	कि. ग्रा.	कि. ग्रा.	कि. ग्रा.	कि. ग्रा.	%
1	अक्टू. - 20	***	***	***	***	***	***
2	नवं. - 20	***	***	***	***	***	***
3	दिसं. - 20	***	***	***	***	***	***
4	जन. - 21	***	***	***	***	***	***
5	फरवरी - 21	***	***	***	***	***	***
6	मार्च - 21	***	***	***	***	***	***
7	अप्रैल - 21	***	***	***	***	***	***
8	मई - 21	***	***	***	***	***	***
9	जून - 21	***	***	***	***	***	***
10	जुलाई - 21	***	***	***	***	***	***
11	अगस्त - 21	***	***	***	***	***	***
12	सितं. - 21	***	***	***	***	***	***
	कुल	***	***	***	***	***	***

क्रम सं.	अवधि	क्षमता	प्रारंभिक भंडार	उत्पादन	घरेलू बिक्री	अंतिम भंडार	क्षमता का उपयोग
		कि.ग्रा. - प्रवृत्ति	कि.ग्रा. - प्रवृत्ति	कि.ग्रा. - प्रवृत्ति	कि.ग्रा. - प्रवृत्ति	कि.ग्रा. - प्रवृत्ति	% - प्रवृत्ति
1	अक्टू. - 20	100	100	-	100	100	-
2	नवं. - 20	100	50-70	-	60-80	40-60	-
3	दिसं. - 20	100	20-40	-	10-30	30-50	-
4	जन. - 21	100	20-40	100	20-40	170-190	100
5	फरवरी - 21	100	100-120	10-30	10-30	200-220	10-30
6	मार्च - 21	100	120-140	30-50	20-40	250-270	30-50
7	अप्रैल - 21	100	140-160	-	60-80	190-210	-
8	मई - 21	100	110-130	-	110-130	120-140	-
9	जून - 21	100	70-80	-	0-20	110-130	-

10	जुलाई - 21	100	70-80	-	-	110-130	-
11	अगस्त - 21	100	70-80	10-30	70-90	80-100	10-30
12	सितं. - 21	100	50-60	-	40-60	60-80	-

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के 8 संयंत्रों में से 5 संयंत्र प्रचालन में हैं और इसलिए तीन अन्य संयंत्रों की लागत को अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है। तीन संयंत्रों को आवेदक द्वारा वर्ष 2013-16 की अवधि के दौरान उसके वित्तीय मामलों के बाद आवेदक द्वारा बंद कर दिया गया था और इन संयंत्रों पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इन गैर प्रचालनीय संयंत्रों में किए गए व्यय को विचाराधीन उत्पादन की कुल लागत निकालने में शामिल नहीं किया गया है।

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कुछ मापदंडों में गिरावट दिखाई दे सकती है, जबकि कुछ अन्य में नहीं दे सकती। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

छ.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

88. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को भारत में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	91	123

2	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	464	188	48
3	संबद्ध देशों से आयात	कि.ग्रा.	53,741	56,349	83,135	70,815
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	155	132
4	अन्य देशों से आयात	कि.ग्रा.	37,298	44,060	47,866	47,650
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	128	128
5	कुल मांग/ खपत	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	140	128

89. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से, मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा में भी उपरोक्त जांच की अवधि को छोड़कर समग्र क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन यह अभी भी आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक है। इसके अलावा, मांग में मामूली गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

90. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	संबद्ध देश	कि.ग्रा.	53,741	56,349	83,135	70,815
i	चीन जन.गण.	कि.ग्रा.	35,520	37,198	59,860	43,865
ii	कोरिया गणराज्य	कि.ग्रा.	18,221	19,151	23,275	26,950
2	अन्य देश	कि.ग्रा.	37,298	44,060	47,866	47,650
3	कुल	कि.ग्रा.	91,039	1,00,409	1,31,001	1,18,465
4	निम्न के संबद्ध में संबद्ध देशों के आयात -					
i	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	123	146

ii	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	111	103
iii	कुल आयात	%	59.03%	56.12%	63.46%	59.78%

91. यह देखा गया है कि :-

क. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच अधि में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा में गिरावट केवल चीन से आयातों के संबंध में हुई है न कि कोरिया से। कोरिया से आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक है।

ख. जबकि जांच की अवधि में आयातों में वर्ष 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों में जांच की अवधि को छोड़कर, क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. जांच की अवधि के दौरान आयात में गिरावट के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों का मांग में काफी हिस्सा रखना जारी रहा है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों, भारत में मांग और भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

ड. जांच की अवधि में मांग का स्तर घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों की तुलना में काफी अधिक था। इस प्रकार, जांच की अवधि में मांग में गिरावट विगत वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं था। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में पाटित आयात न होने पर जांच की अवधि में 100% का क्षमता उपयोग कर सकता था। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल ***% था।

छ.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

92. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत

न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के माध्यम से जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पंहुच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत की वृद्धि

93. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों और कच्ची सामग्री की लागत की प्रवृत्ति की जांच की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

क्र.सं.	अवधि	कच्चे माल की लागत - रु./कि.ग्रा.	प्रवृत्ति	पहुंच कीमत रु./कि.ग्रा.	प्रवृत्ति
1	2018-19	***	100	24,405	100
2	2019-20	***	90	19,757	81
3	2020-21	***	93	17,019	70
4	जांच की अवधि	***	89	16,293	67

94. यह देखा गया है कि कच्ची सामग्री की लागत में क्षति अवधि के दौरान 11 इंडेक्स प्वाइंट तक की कमी हुई है। तथापि, पंहुच कीमत में 33 इंडेक्स प्वाइंट तक की गिरावट आई है। जांच अवधि में पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है।

95. यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादन की शुरूआत करने से पूर्व, संबद्ध देशों से आयातों की कीमत 330-340 यूएस डॉलर प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थी। तथापि, आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक, आयातों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई और ये 210-220 यूएस डॉलर प्रति कि.ग्रा. की रेंज में हैं।

96. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना की। यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट गैर संबद्ध देशों की तुलना में काफी तेज और अधिक थी।

क्र. सं.	सीआईएफ कीमत	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि	जांच की अवधि में गिरावट
1	संबद्ध देश	रु./कि.ग्रा.	23,573	19,084	16,414	15,816	-33%
क	चीन	रु./कि.ग्रा.	22,887	18,535	15,289	14,014	-39%

ख	कोरिया गणराज्य	रु./कि.ग्रा.	24,911	20,150	19,308	18,749	-25%
2	अन्य देश	रु./कि.ग्रा.	31,896	30,223	29,539	29,612	-7%

ख. कीमत कटौती

97. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती प्रभावों को निम्नानुसार ज्ञात किया गया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	निवल बिक्री प्राप्ति	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
2	संबद्ध देश समग्र रूप से					
i	पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	24,405	19,757	17,019	16,293
ii	कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज%	(0-10)%	(15-25)%	(0-10)%	(0-10)%
3	चीन जन.गण.					
i	पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	24,146	19,554	16,129	14,785
ii	कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज %	(0-10)	(20-30)	0-10	(0-10)
4	कोरिया गणराज्य					
i	पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	24,911	20,150	19,308	18,749
ii	कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज %	(0-10)%	(15-25)%	(10-20)%	(15-25)%

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के मामले में कीमत कटौती मामूली रुप से ऋणात्मक है, जो यह दर्शाता कि घरेलू उद्योग और चीन की कीमतें तालमेल के साथ चलती हैं। तथापि, कोरिया गणराज्य के मामले में कीमत कटौती काफी ऋणात्मक है। समग्र कीमत कटौती भी ऋणात्मक है।

99. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि आदेश भेजने के समय में अंतर होने के कारण आयातित उत्पाद की कीमत में काफी उतार चढ़ाव रहा है। यह भी दावा किया गया है कि ग्राहक आयात कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ मोलभाव करते हैं और उत्पाद की बिक्री करने के लिए, घरेलू उद्योग के पास इन बिक्रियों को करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। आवेदक का दावा सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों की तर्ज पर है, जो काफी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

बिल ऑफ एंट्री संख्या	बिल ऑफ एंट्री की तिथि	देश	मात्रा	आकलन योग्य मूल्य (रु.)	कीमत
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***

100. उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आयातों की पहुंच कीमत के मुकाबले में अपनी बिक्री कीमतों में कमी लाने पर मजबूर होना पड़ा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में यह अपेक्षा नहीं है कि दोनों कीमत कटौती और आयातों का कीमत ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव एक साथ मौजूद हो। यह विशेष रूप से तब है, जब घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और

बढ़ती वस्तुसूची के कारण कम कीमतों पर बिक्री करने पर मजबूर होना पड़ा है। अतः जब घरेलू उद्योग की कीमत का इतनी अधिक मात्रा में ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है कि वह यहां तक कि एक सकारात्मक अंशदान आर्जित करने में भी असमर्थ है, तब कीमत कटौती एक संगत कारक नहीं हो सकता।

ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

101. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास हुआ है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार जांच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	102	127	96
2	बिक्री कीमत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*65*	*68*	*62*
3	पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	24,405	19,757	17,019	16,293
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*81*	*70*	*67*
4	कच्ची सामग्री की लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	90	93	89

102. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है। यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत वास्तव में घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। साथ ही समग्र जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में निरंतर गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी परिवर्तनशील लागत पर भी बिक्री नहीं कर सका है और उसे लाभ नहीं हुआ है बल्कि घाटा हुआ है। आयात कीमत के अत्यधिक कम होने से घरेलू उद्योग की कीमत वृद्धि पर रोक लगी है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

छ.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

103. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क. क्षमता उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

104. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री नीचे तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	क्षमता	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
2	उत्पादन	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*60*	*126*	*72*
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*60*	*126*	*72*
4	घरेलू बिक्री	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*91*	*123*

105. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया था। तत्पश्चात, घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है और उसके बाद वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में पुन: गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग अत्यंत कम रहा है।

घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह जांच अवधि के 8 महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था। इसके अलावा, वह जांच अवधि के अंतिम 6महीनों में से 5 महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था।

ङ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। समग्र रुप से घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. मांग पर विचार करते हुए, जो कि पाटित आयातों से पूरी की गई थी और घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताएं स्थापित की गई थी, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग देश में *** % मांग को पूरा करने के लिए अपने संयंत्र का उपयोग नहीं कर पाया। तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में न केवल गिरावट आई बल्कि यह जांच की अवधि में बहुत ही कम स्तर पर भी था। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का अस्थायी रूप से उत्पादन बंद करने पर मजबूर था।

क. बाजार में हिस्सेदारी

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**जांच की अवधि**
1	घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	66	96
2	अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	406	135	37
3	संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	111	103
4	अन्य देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	92	100

107. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2020-21 तक गिरावट आई लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि में यह आधार वर्ष के स्तर तक पहुंच गई। जबकि बाजार हिस्सा जांच की अवधि में एक बढ़ती हुई प्रवृति को दर्शाता है, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उत्पाद के लिए मांग तथा घरेलू उद्योग द्वारा सृजित क्षमताओं पर विचार करते हुए काफी कम है। यह देखा गया है कि पाटित आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तथापि, पाटित आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा सृजित क्षमता और इसके क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए काफी अधिक रहा है।

108. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की तुलना में अन्य देशों से काफी आयात काफी अधिक कीमतों पर रहे हैं और ऐसी संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातों का मुकाबला नहीं करती। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ये आयात निर्यात करने के लिए हैं न कि घरेलू बाजार में खपत के लिए हैं। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि ये आयात इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनके ग्राहक यूडीसीए के अनुमोदित आपूर्तिकर्ता हैं। यह भी नोट किया गया है कि दो प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। लेकिन उपरोक्त तथ्यों का विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध देशों से काफी अधिक कीमतों पर आयात उपभोक्ताओं द्वारा काफी अधिक चीजों की स्वीकार्यता को स्थापित करते हैं।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

109. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	यू ओ एम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	127	96
2	बिक्री कीमत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	68	62
3	लाभ / हानि	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-154	-211	-145
4	लाभ / हानि	लाख रुपए	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-136	-193	-179
5	नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-153	-237	-220
6	ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पी बी आई टी)	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-139	-205	-198
7	लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-196	-305	-371

110. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान लगातार हानि होती रही है।

ख. घरेलू उद्योग को हुई प्रति इकाई हानि और कर पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. नकद हानि और ब्याज पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय बहुत अधिक हद तक नकारात्मक है।

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कच्चा सामग्री की कीमत में ऐसी कोई आनुषंगिक वृद्धि नहीं होने के बावजूद बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उसके रिकार्ड से प्रदान की गई लागत से संबंधित सूचना का सत्यापन किया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत जांच की अवधि में वास्तव में सबसे कम थी।

घ. वस्तुसूचियां

112. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यू ओ एम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक वस्तु सूची	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80,953	38,617	1,63,106
2	अंतिम वस्तु सूची	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	306	77

3	औसत वस्तु सूची	कि.ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	354	278

113. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा धारित औसत वस्तु सूची में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है, जबकि आगे वर्ष 2020-21 में तेजी से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूची की पर्याप्तता जारी रही लेकिन उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि औसत माल सूची में गिरावट इस तथ्य के कारण हुई है कि इसने जांच की अवधि के अंतिम 6 माह में से 5 माह उत्पादन नहीं किया था क्योंकि कम कीमत पर पाटित आयातों की मौजूदगी थी और घरेलू उद्योग उत्पादन की बिक्री करने में असमर्थ था।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

114. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यू ओ एम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	117	93
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	132	104
3	प्रतिदिन उत्पादकता	कि.ग्रा./दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	126	72
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	कि.ग्रा./सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	107	78

115. कर्मचारियों की संख्या और घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किया गया वेतन अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह उत्पादन के अनुरूप चला है। उसी प्रकार से, प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी उत्पादन के अनुरूप रही है।

च. वृद्धि

116. उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में वृद्धि नीचे तालिका के अनुसार है:

क्रम सं.	विवरण	यू ओ एम	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-40%	111%	-42%
2	बिक्री	वर्ष/वर्ष	-11%	3%	35%
3	प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	वर्ष/वर्ष	-54%	-37%	31%
4	मालसूची	वर्ष/वर्ष	48%	140%	-21%
5	बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	-22%	-16%	47%
6	कर पूर्व लाभ	वर्ष/वर्ष	-36%	-42%	7%
7	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-53%	-55%	7%
8	ब्याज और कर पूर्व लाभ (पी बी आई टी)	वर्ष/वर्ष	-39%	-47%	-3%
9	ब्याज पर प्रतिफल (आर ओ आई)	वर्ष/वर्ष	-96%	-55%	-22%

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन, माल सूची, पी बी आई टी और आर ओ आई के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है। हालांकि, बिक्री, लाभ, बाजार हिस्सा, कर पूर्व लाभ और नकद लाभ के मामले में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक रही है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का जांच की अवधि में इन मापदंडों में बहुत ही प्रतिकूल निष्पादन था।

छ. पाटन का परिणाम

118. पाटन का परिमाण उस सीमा का एक संसूचक है जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सहयोग करने वाले निर्यातकों का पाटन मार्जिन जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

119. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हो रही है और यह सकारात्मक अंशदान अर्जित करने के लिए सक्षम नहीं है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, इस उद्योग का प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

छ.3.4. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन/ कम कीमत पर बिक्री

120. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एनआईपी का आकलन किया गया है और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ इसकी तुलना की गई है।

क्र.सं.	**विवरण**	**एनआईपी यूएस डॉलर/ कि.गा.**	**पहुंच मूल्य यूएस डॉलर/ कि.गा.**	**क्षति मार्जिन**		
				यूएस डॉलर/ कि.गा.	**%**	**रेंज**
1	**चीन जन. गण.**					
क	झोंगशॉग बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कं. लि.	***	***	***	***	150-160
ख	सिचुआन जिएली फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	130-140
ग	सुझोऊ तियानुलू बॉयो फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	150-160
घ	अन्य	***	***	***	***	170-180
2	**कोरिया गणराज्य**					
क	देवूंग बॉयो इंकॉपोरेटेड	***	***	***	***	90-100
ख	अन्य	***	***	***	***	110-120

छ.3.5. क्षति पर निष्कर्ष

121. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से और कुल खपत और उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में इससे संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है। क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है । पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत

से कम है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है क्योंकि वे बाजार में कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण बाजार में वांछित मात्रा में बिक्री नहीं कर पाए हैं । जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित योगदान भी नकारात्मक है । संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है । जांच की अवधि में मात्रा और कीमत के प्रभाव के परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इस हद तक खराब हो गया है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने कई कारकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इसलिए, पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

122. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकुचन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन और उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर उपर्युक्त कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

123. संबद्ध देशों को छोड़कर, गैर-संबद्ध देशों से 47 प्रतिशत आयात हुए हैं और ये विशेष रुप से यूरोपीय संघ से हुए हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन से आयातों की पहुंच कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। इस कारण से ये आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।

ख. मांग में संकुचन

124. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

125. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में किसी ज्ञात वास्तविक परिवर्तनों से संबंधित किसी साक्ष्य का उत्पादन नहीं किया है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां

126. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

127. प्राधिकारी के समक्ष किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में किसी ज्ञात और वास्तविक परिवर्तनों के संबंध में, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

128. घरेलू उद्योग निर्यात प्रचालनों में नहीं लगा हुआ है। इस कारण से, निर्यात कार्यनिष्पादन क्षति का कारण नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

129. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यनिष्पादन के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

130. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। यह देखा जाता है कि प्रतिदिन उत्पादकता, उत्पादन के अनुरूप रही है।

झ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

131. प्राधिकारी उपर्युक्त कारकों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण हुई है:

क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और बिक्री नहीं कर पाया है।

ख. क्योंकि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है, मालसूची के ढेर को रोकने के लिए इसे अपने उत्पादन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

ग. आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। नतीजतन, उद्योग घाटे में बेचने के लिए मजबूर हो गया है।

घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी नुकसान, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ हुआ है।

ङ. कई आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।

च. इस प्रकार प्राधिकारी अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है ।

झ. <u>भारतीय उद्योग का वित और अन्य मामले</u>

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा के गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय घरेलू उद्योग के हित के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:-

क. संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह उत्पाद एक आवश्यक फार्मस्यूटिकल उत्पाद है और एक लाइफ सेविंग ड्रग है।

ख. यदि शुल्क लगाए जाते हैं, तो घरेलू उद्योग को एकाधिकार की स्थिति का फायदा मिलेगा और इसकी आयातों को छोड़कर अन्य से कोई प्रतिस्पर्धा पहले से ही नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोक्ताओं और ग्राहकों पर प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

घ. घरेलू उद्योग को पूरे प्रयोक्ता उद्योग की लागत संरचना और अंतिम फार्मुलेशन अथवा दवाइयों में यूडीसीए के कीमत घटक को भी जानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

ड. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, यूडीसीए की लागत की उत्पाद की अंतिम कीमत में एक प्रमुख भूमिका होती है। लागत से कीमत का अनुपात अंतिम फार्मुलेशन में प्रयुक्त यूसीडीए की प्रतिशतता के आधार पर 20-70 प्रतिशत के बीच बढ़ जाएगा।

च. आवेदक के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से आयातों को बंद करना होगा।

छ. बुनियादी सीमा शुल्क आवेदक को संरक्षण प्रदान के लिए पर्याप्त है।

ज. यदि घरेलू उद्योग निरंतर उत्पादन करने में असमर्थ है और उत्पादन बंद कर देता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिक होगा और इसकी वापसी के लिए एक लंबी मध्यावधि समीक्षा जांच प्रक्रिया की जरूरत होगी।

झ. संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरधी शुल्क लगाने से केवल संबद्ध देशों से गैर-संबद्ध देशों को आयातों का अंतरण होगा।

ञ. यह अनुमान लगाना गलत है कि भारत आयातों के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि गैर-संबद्ध देशों से भी आयातों की पर्याप्त मात्रा आ रही है।

ट. आवेदक ने अनावश्यक रूप से पेंसिलिन मामले का संदर्भ दिया है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार अनेक ऐसे विक्रेताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो बाजार में समान वस्तु प्रदान कर रहे हैं। पेंसिलिन मामले के प्रतिकूल, वर्तमान जांच में इटली से आयात चीन से आयातों का बाजार अंश का स्थान ले लेंगे और इससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा घट जाएगी।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से कोरिया और चीन से आयात बंद हो जाएंगे और घरेलू बाजार में सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। प्रयोक्ताओं को यूडीसीए का उच्चतर स्तर बरकरार रखना होगा।

ड. ग्राहकों को पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि का भार वहन करना होगा। यूडीसीए फार्मा उत्पादों के आधार पर 30-70 प्रतिशत तक लागत बढ़ जाएगी।

ढ. अंतिम प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया न होने का तात्पर्य उन पर नकारात्मक प्रभाव की कमी होना नहीं है।

ण. भारतीय प्रसंस्कृत ड्रग निर्याताओं को भारत-कोरिया एफटीए से लाभ नहीं है क्योंकि यूडीसीए और सीडीसीए के समान एचसी कोड हैं।

त. वैकल्पिक स्रोत यूरोपीय संघ से है, यह आधारहीन है, क्योंकि वे आयात कोरिया गणराज्य से आयातों से 50% अधिक कीमतों पर हैं।

थ. आवेदक अपनी कच्ची सामग्रियों की खरीद ऐसे आपूर्तिकर्ता से करता है, जो एक इटेलियन उत्पादक आईसीई का अधिग्रहण है।

द. यह तर्क कि आवेदक मांग का केवल करीब 55-60% तक पूरा कर सकता है। स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदक के पास भारी मात्रा में उत्पादन का अनुभव कम है और यह भारतीय मांग को पूरा करने के लिए एक कम समय अवधि में भारी मात्रा में उत्पादन प्रणाली स्थापित नहीं कर सकता।

ध. यदि यूडीसीए चीन से आयात करता है, तो वह भारतीय बाजार में अपना स्थान खो देगा क्योंकि ऐसा पाटनरोधी शुल्क लगे होने के कारण होगा, अत: भारतीय उद्योग आईसीई, इटली पर अधिक निर्भर हो जाएगा।

न. प्रश्नावली के लिए आयात का उत्तर न होने का यह अर्थ नहीं होता कि ऐसे उद्योगों को क्षति नहीं हो रही है। आयातों से पत्र पहले ही प्रदान किए गए हैं और साथ में प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियां भी प्रदान की गई हैं।

प. पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से आईसीई इटली को फायदा होगा, जो पूरे विश्व में तेजी से अपना विस्तार करने में लगा हुआ है, जो भारतीय यूडीसीए बाजार में भी प्रभावी ताकत बन जाएगा।

फ. तेजी से विकसित हो रही वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के अंतर्गत कच्ची सामग्री ड्रग की एक स्थायी आपूर्ति भारतीय लोगों की स्थिति के लिए एक प्रमुख कारक होगी। विगत 20 वर्षों से देवूंग बॉयो उच्च गुणवत्ता के यूडीसीए की आपूर्ति करता रहा है।

ब. यूडीसीए कर न केवल विशेष बीमरियों के उपचार में प्रयोग होता है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, बल्कि गालस्टोन जैसी सामान्य बीमरियों के उपचार के लिए भी प्रयोग होता है।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलेगी और यह घरेलू निर्माताओं के हित में होगा।

ख. उपभोक्ता को माल सूची की उच्चतर सीमा बनाये रखनी होगी यदि वे आयात की सामग्री पर निर्भर हों। हालांकि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, माल सूची धारण बहुत कमतर स्तर पर रखा जा सकता है।

ग. बाजार में कीमतें घरेलू उत्पादन की उपस्थिति में उचित और प्रतिस्पर्धी रहेगी।

घ. आर्क फार्मा भारत में एक प्रमुख उत्पादक है। बहुत अधिक मात्राओं में लगातार पाटन के फलस्वरूप उत्पादन पूर्णरूप से रूक सकता है।

ङ. घरेलू बाजार में यूडीसीए एसिड की मौजूदा कीमतें किसी भी उत्पादक के लिए अर्थक्षम नहीं है। इस कारण से घरेलू उद्योग समय समय पर उत्पादन में कटौती करने अथवा उसे स्थगित करने के लिए बाध्य रहा है।

च. जनहित अभिव्यक्ति अपने आप को केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं करती है और यह वास्तव में एक बहुत व्यापक परिभाषिक शब्द है जिसमें घरेलू उद्योग भी शामिल है।

छ. घरेलू उद्योग के पास *** किलो ग्राम क्षमता है और इसका मौजूदा हिस्सा केवल *** प्रतिशत है। यदि ये शुल्क चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों पर लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग माग की 55-60 प्रतिशत पूर्ति करने में सक्षम होगा (गैर संबद्ध देशों से आयातों पर विचार किए बिना)।

ज. अपने संयंत्र में बहुत लघु परिवर्तनों के साथ, घरेलू उद्योग 1,00,000 किलो ग्राम तक अपनी क्षमता का विस्तार कर सकता है, जिसके लिए किसी बड़े निवेश की जरुरत नहीं होती। भारतीय उद्योग भारत में आगे निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

झ. यूडीसीए की कीमत में वृद्धि का बाइल प्राइमरी बिलयरी ने अधिक कॉलेस्ट्राल के लिए आशोधन की लागत में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। यह व्यापक रूप से उपयोग की गई दवा नहीं है।

ञ. इस प्रकार की दुर्लभ बीमारी के लिए आयात किये गये ए पी आई दवा पर निर्भरता व्यापक रूप से जनता के हित में नहीं है।

ट. अर्सोकोल के एक सिंगल कैप्सूल पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव कैप्सूल में यूडीसीए अंश के आधार पर 2.39 से 7.17 रु. तक है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर रोक नहीं लगेगी। आयात सभी स्रोतों से होना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष और न्यायोचित कीमत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है और न कि आयातों को रोकना है। यूरोपीय संघ से बहुत अधिक मात्रा में आयात हो रहा है।

ड. भारत ए पी आई के लिए चीन जन. गण. पर लंबे समय से निर्भर रहा है। चीन जन. गण. से उत्पादकों ने बहुत कम कीमतों पर उत्पाद की पेशकश की है जिसने भारतीय उद्योग को प्रभावित किया था। जैसे ही भारतीय उद्योग समाप्त होता है, चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में तेजी से वृद्धि की है जिसमें प्रयोक्ताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

ढ. चीन के उत्पादकों ने 562 रुपए प्रति किग्रा. की कीमत पर पेनिसिलीन-जी की आपूर्ति की और भारतीय उद्योग इन कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि उद्योग समाप्त हो गया, अत: चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में वृद्धि की। वर्ष 2020-21 के लिए कीमतें 1,262 प्रति किग्रा. थी। वैसी ही स्थिति उस स्थिति में होने जा रही है जब भारतीय उद्योग यू डी सी ए के लिए समाप्त हो जाता है।

ण. कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति चयन को बहुत अधिक तोड़ा है। कई संगठनों को यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों के कारण हानि हुई। ऐसी स्थिति में, यह सभी स्टेकहाल्डरों के हित में है कि आयातों पर निर्भरता कम की जाये। शुल्क लगाये जाने से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी।

त. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम उत्पादों पर बहुत अधिक होगा जो इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि जबकि दो उपभोक्ताओं ने भाग लिया है, किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

थ. उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकता है। उपभोक्ताओं ने उचित बाजार स्थितियों पर विचार करते हुए अपने संयंत्रों को स्थापित किया है।

द. पाटनरोधी शुल्क लगाने का अर्थ घरेलू उद्योग के लिए संरक्षण देना नहीं है बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने के लिए एक व्यवस्था है।

ध. पाटनरोधी कानून के उद्देश्य को *रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी*[24] मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अच्छे तरीके से मान्यता दी गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी और उसका उल्लेख किया गया था।

न. उपभोक्ताओं को पहले से ही भारतीय कोरिया मुक्त व्यापार करार के बल पर कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रियायती शुल्क मिल रहा है। वर्तमान में कोरिया गणराज्य से यू डी सी ए के आयातों पर शुल्क का शून्य दर लगेगा।

प. अंतिम फार्मुलेशन की कीमतों का संबद्ध वस्तुओं की कीमतों पर बहुत ही कम सह संबंध है। अंतिम फार्मुलेशन की कीमतें पहले 2018 से दोगुनी हैं जबकि यूडीसीए की कीमतों में काफी गिरावट आई है।

फ. जबकि यूडीसीए की लागत (बैंचमार्क कीमत पर विचार करके) केवल 28,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है, लेकिन फार्मुलेशन निर्माता द्वारा रखी गई कीमत 1,85,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है। पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव अंतिम प्रयोक्ता के लिए अधिक नहीं होगा।

---

[24] (2006) 10 एससीसी 368.

ब. प्रयोक्ताओं ने भाग तो लिया है लेकिन उत्तर दाखिल नहीं किया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने का उनके निष्पादन पर शुल्क का प्रभाव नहीं होगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त किया जायेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से इन उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

135. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाये जाने के प्रभाव का आकलन किया, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव तथा कुल मिलाकर जनहित पर प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किये गये अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है।

136. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों जिसमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों के

विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद के परस्पर बदले जाने की क्षमता, दूसरे स्रोतों को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, उन कारकों जिनके कारण संभवतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन को गति दी जायेगी अथवा विलंब होगा, पर सूचना मांगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं के भाग लेने से वे अपने प्रचालनों पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में सूचना प्रदान कर पाएंगे। प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर रखी गई सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता पर प्रभावित उपायों के प्रभाव का विश्लेषण और निर्धारण कर सकते हैं। तथापि, जबकि प्रयोक्ताओं ने जांच में भाग तो लिया लेकिन रिकार्ड पर सूचना नहीं रखी, जिससे प्राधिकारी प्रति तथ्यों को समझने में असमर्थ होंगे।

137. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से प्रयोक्ता उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की गैर-उपलब्धता नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्कों से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, गैर- संबद्ध देशों से काफी आयात हो रहे हैं। घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग की ***% पूर्ति करने के लिए *** कि.ग्रा. की क्षमता है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा भी गैर-संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अपनी क्षमता को 1,00,000 कि.ग्रा. तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश पर्याप्त नहीं है और यह पाटित आयातों द्वारा पूरी की जा रही समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

138. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यूडीसीए एपीआई और यूडीसीए फार्मुलेशन की कीमत मिलकर नहीं बदली हैं। यह नोट किया गया है कि जबकि यूडीसीए एपीआई की कीमतों में वर्ष 2018-19 में 24,136 रु. प्रति कि.ग्रा. से गिरावट होकर 15,518 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है, जबकि यूडीसीए फार्मुलेशन की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि यहां तक कि जब एपीआई की कीमतों में गिरावट आई है, फार्मुलेशन की कीमतों में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि एपीआई की कीमत और फार्मुलेशन की कीमत में बदलाव के लिए कोई संबंध नहीं है।

139. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार में डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्कों के किसी प्रभाव का आकलन प्रदान नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जबकि यूडीसीए की लागत (बैंचमार्क कीमत पर विचार करके) केवल 28,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है, फार्मुलेशन निर्माता द्वारा तय

की गई कीमत 1,85,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है। अतः पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम प्रयोक्ता के लिए अधिक नहीं होगा।

ञ. <u>प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां</u>

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. कोरिया से भाग लेने वाले उत्पादक ने यह अनुरोध किया है कि उसने खरीद की मात्रा के आधार पर अपनी संबद्ध कंपनी को सामान्य छूट की पेशकश की है और इसलिए संबद्ध बिक्री कीमतों को सामान्य मूल्य की गणना के लिए बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। .

ख. कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण आयात कीमत में गिरावट के संबंध में प्रकटीकरण विवरण के पैरा 81 में प्राधिकारी का विश्लेषण अस्वीकार्य है। कोरिया आरपी से भाग लेने वाले उत्पादक ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि इसकी कच्ची सामग्री की कीमतें इसकी निर्यात कीमत से अधिक गिर गई हैं।

ग. पूर्व अंतिम सूत्रीकरण में यूडीसीए की सामग्री आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होती है और यह 40,000 रुपये/किग्रा से 125,000 रुपये/किग्रा के बीच भिन्न होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि अंतिम सूत्रीकरण की बिक्री कीमतों में यूडीसीए का हिस्सा 70% है, डंपिंग रोधी शुल्क लगाना उपयोगकर्ता उद्योग के हित के खिलाफ होगा।

घ. यदि कोरिया आरपी से यूडीसीए डंपिंग रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय बाजार में अपना स्थान खो देता है, तो भारतीय उद्योग अनिवार्य रूप से एक इतालवी कंपनी आईसीई पर अधिक निर्भर हो जाएगा।

ङ. भारतीय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का आयात आईसीई, इटली और उसके संबद्ध सहयोगियों से किया जाता है और डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से बाजार में आईसीई के एकाधिकार का निर्माण होगा।

च. प्राधिकारी नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न लागू करके घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं।

छ. प्राधिकरण ने फार्मेसिनो कंपनी लिमिटेड, जो कि एक असंबद्ध निर्यातक है, की हानियों के लिए सूज़ौ तियान्लू बायो-फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड की निर्यात कीमत गणना में गलती से समायोजन किया है। चूंकि सूज़ौ तियान्लू बायो-फ़ार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड का फ़ार्मासिनो कंपनी लिमिटेड पर वाणिज्यिक निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए समायोजन अनुचित है।

ज. प्राधिकारी ने आवेदक की क्षति के आंतरिक कारकों की पुष्टि करने वाली वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में किए गए निवेदनों पर विचार नहीं किया है।

झ. प्राधिकरण ने कुल उत्पादन का पता लगाने के लिए रायकेम और शिप्रा के उत्पादन के आंकड़ों पर विचार नहीं करके गलती की है। प्राधिकरण को संबंधित विभाग से संबंधित डेटा मंगाना चाहिए था।

ञ. चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोरिया आरपी को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए था।

ट. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में पुन : बिक्री के लिए पीयूसी का आयात किया है जिसके कारण मालसूची में वृद्धि हुई है और उत्पादन रुक गया है ।

ठ. नकारात्मक कीमत कटौती से यह सुनिश्चित होना चाहिए था कि घरेलू उद्योग ने आयातों के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया होता, लेकिन इससे बाजार हिस्से में कोई वृद्धि नहीं होती। यह संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव को दर्शाता है।

ड. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और कच्चे माल की लागत के बीच कोई संबंध नहीं है। मांग में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ढ. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए कारक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आयात कीमत और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई संबंध नहीं है ।

ण. घरेलू उद्योग इन्वेंट्री के ढेर को रोकने और अपना उत्पादन जारी रखने के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकता था। हालांकि, इसने निर्यात नहीं करने और अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने और इसके उत्पादन को रोकने का फैसला किया।

त. यदि घरेलू उद्योग लगातार उत्पादन करने में असमर्थ है और निकट भविष्य में उत्पादन बंद कर देता है, तो पूरे 5 साल की अवधि के लिए डंपिंग रोधी शुल्क

बेमानी हो जाएगा और इसे वापस लेने के लिए लंबे समय तक मध्यावधि समीक्षा जांच प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

थ. घरेलू उद्योग का कुल कारोबार अच्छी स्थिति में नहीं है। यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग अगले 5 वर्षों के लिए एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में काम करेगा और संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जारी रखेगा।

द. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणामों में शुल्क के संदर्भ मूल्य रूप की सिफारिश करनी चाहिए । ऐसी ड्यूटी की केवल दो साल की अवधि के लिए सिफारिश की जानी चाहिए।

ध. घरेलू उद्योग ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है और इसे हुई क्षति इसलिए हो सकती है क्योंकि यह एक नया उद्योग है ।

न. भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर है और शुल्क का बेंचमार्क स्वरूप उपयोगकर्ता उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

141. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. नियम 11 के अनुसार क्षति को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में देखा जाना अपेक्षित है और इस कारण से कंपनी स्तर पर कंपनी के कार्यनिष्पादन पूर्ण रूप से असंगत है।

ख. शुल्कों का बेंचमार्क रूप अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से बहुत अधिक आयात शुल्क मुक्त योजनाओं जैसे अग्रिम अधिकरण और एसईजेड/ईओयू जोन में हो रहे हैं।

ग. प्राधिकारी ने अपनी विगत विभिन्न जांचों जैसे चीन से मेलामाइन और कास्टिक सोडा में यह पाया था कि प्रयोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क की वंचना की थी।

घ. यदि शुल्क 5 वर्षों के लिए नहीं लगाया जाता है तब घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम नहीं हुए होते।

ङ. प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाली गई क्षति की मात्रा इतनी अधिक है कि यह उद्योग सकारात्मक अंशदान प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हुआ है। इस उद्योग को इस प्रकार के प्रतिकूल कार्य-निष्पादन से उबरने में समय लगेगा।

च. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया और यह अब से 4 वर्षों से अधिक तक उत्पादन करता रहा है। घरेलू उद्योग ने अब अपने आप को फिर से स्थापित किया है।

छ. वर्तमान जांच इस तथ्य की जांच नहीं करेगा कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बहुत अधिक मंदी हुई है। तथापि, वर्तमान जांच इस तथ्य की जांच करेगा कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक क्षति हो रही है।

ज. घरेलू उद्योग के पास सभी लाइसेंस और प्रमाण-पत्र हैं जिसे बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। घरेलू उद्योग अचानक उत्पादन नहीं रोक पाएगा।

झ. जैसा कि पहले अनुरोध किया गया है, घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता को बिना किसी अधिक निवेश के बढ़ाकर 1,00,000 एमटी तक किया जा सकता है।

ञ. प्राधिकारी ने उन मामलों में भी जहां घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था , 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश की थी । तथापि , वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि से पहले संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है । इसलिए, पांच साल की अवधि के लिए डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है, और वे यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं, जिनका पहले ही प्रकटन विवरण और वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से जांच और समुचित रूप से उसका समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार

उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

143. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर टिप्पणी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने सौदेवार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि क्षति अवधि के दौरान आवेदक द्वारा कोई आयात नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है । इसलिए, यह तर्क कि घरेलू उद्योग की मालसूची में उसके द्वारा किए गए आयातों के कारण वृद्धि हुई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

144. जहां तक कुल भारतीय उत्पादन का पता लगाने में राइकेम और शिप्रा के उत्पादन को शामिल करने पर टिप्पणियों का संबंध है, इस मुद्दे को प्रकटीकरण विवरण में पहले ही संबोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी ने दोनों उत्पादकों को पत्र भेजा था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना इन उत्पादकों की क्षमता और न कि उत्पादन के संबंध में था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि क्या इन कंपनियों के संयंत्र चल रहे हैं अथवा बंद हो गए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए, प्राधिकारी ने कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करने के लिए उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है ।

145. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोरिया आरपी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार करने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया आरपी संबद्ध देशों में से एक है, कीमत से संबंधित सूचना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ।

146. कोरिया से भाग लेने वाले उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य की गणना में संबद्ध पार्टी को बिक्री को बाहर करने पर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध पार्टियों को बिक्री घरेलू बाजार में कुल बिक्री के ***% से अधिक पाई गई। संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद की औसत कीमत असंबद्ध ग्राहकों औसत कीमत से लगभग ***% कमतर पाया गया था। इस कारण से,

कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध बिक्रियों पर विचार नहीं किया गया है।

147. जहां तक असंबद्ध निर्यातक की हानियों के लिए निर्यात कीमत के संबंध में समायोजन के संबंध में प्रस्तुतीकरणों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राधिकरण की निरंतर पद्धति के अनुसार किया गया है।

148. इस तर्क के संबंध में कि कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण कोरिया आरपी से निर्यात कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरियाई उत्पादक द्वारा दाखिल की गई सूचना से यह देखा गया कि कच्चे माल की लागत में वास्तव में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाया है कि कोरिया आरपी से उत्पादक का घरेलू बिक्री मूल्य इसके निर्यात मूल्य से अधिक है। इसलिए, यह तर्क कि कच्चे माल की कीमत में गिरावट के कारण निर्यात कीमत में गिरावट आई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और कच्चे माल की लागत के बीच कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में कमी या वृद्धि अनिवार्य रूप से आयात की लागत को प्रभावित करेगी। संबद्ध वस्तु और इसके परिणामस्वरूप स्वयं उतराई कीमतें। वर्तमान मामले में कच्चे माल की कीमत में गिरावट की तुलना में आयात कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है ।

150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मांग में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और बिक्री में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग की क्षमता के एक नगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भारत में पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर बेचे जा रहे हैं ।

151. जहां तक अंतिम फॉर्मूलेशन की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीयूसी के संबंध में किए गए निवेदन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दावे के समर्थन में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य सामने नहीं लाया गया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने इस तर्क के समर्थन में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलबध नहीं कराया है कि विचाराधीन उत्पाद अंतिम फार्मुलेशन की लागत का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनाता है।

इसके अलावा, यह भी दर्शाया गया है कि अंतिम फार्मुलेशन की कीमत विचाराधीन उत्पाद की कीमत के अनुरूप नहीं रही है।

152. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट पर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की जांच की है जिन्हें संगत पाया गया है। विगत में हुए घाटों, अधिक वित्त लागत और अन्य संयंत्रों के बंद होने के कारण किसी लागत का दावा नहीं किया गया है। दावा की गई लागत को आवेदक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों से विधिवत सत्यापन किया गया है।

153. जहां तक क्षति रहित कीमत की गणना के संबंध में प्रस्तुतीकरण का संबंध है, प्राधिकारी ने एनआईपी की संगणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के अनुरूप अपनी सतत पद्धति के अनुसार की है।

154. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है और भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग - आपूर्ति का अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण की मांग करने से नहीं रोकता है । जैसा कि डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया है, मांग-आपूर्ति अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक अपाटित कीमतों पर उत्पाद बेचकर हमेशा भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं।

155. इन टिप्पणियों के संबंध में कि पाटनरोधी जांच के फलस्वरूप, घरेलू बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इन आयातों का होना जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि भारत में समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक है और इसलिए, घरेलू बाजार में एकाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एकाधिकार/प्रभुत्व की स्थिति के संबंध में दिए गए तर्कों के संबंध में, जो कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं पर एडीडी के लेवी द्वारा सृजित किया जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप आईसीईई की मात्रा में वृद्धि, भारत में संबद्ध वस्तुओं के इटली के आयातों में वृद्धि हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तु का आयात मूल्य डंप किया जाता है और आईसीईई, इटली से आयातित संबद्ध वस्तु की तुलना में काफी कम है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं की कीमत आईसीईई

इटली के आयातों से कम होगी और इसलिए, भारतीय बाजार में किसी फर्म के एकाधिकार या प्रभुत्व का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा।

ट. <u>निष्कर्ष एवं सिफारिशें</u>

157. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ से एक पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. इस आवेदन में जांच की शुरुआत करने के उद्देश्य से संगत सभी सूचना थी तथा इसके साथ ही वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य भी थे।

घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और यह मार्जिन धनात्मक और बहुत अधिक है।

ङ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप में तथा सापेक्ष रूप में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. आयातों की पहुंच कीमत में काफी हद तक गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण मात्रा में अपने समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और इसका हिस्सा उस स्तर से काफी नीचे है जिसे वह पूरा कर सकता था।

छ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण मात्रा में अपने समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और इसका हिस्सा उस स्तर से काफी नीचे है जिसे वह पूरा कर सकता था।

ज. घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद घाटा हुआ है।

झ. घरेलू उद्योग ने अपने घरेलू परिचालनों में लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया है। नुकसान इस हद तक है कि घरेलू उद्योग ने नकारात्मक योगदान अर्जित किया है।

ञ. ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

ट. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबद्ध वस्तुएं अंतिम सूत्रीकरण का केवल 15% हिस्सा बनाती हैं और इसलिए संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपयोगकर्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लैंडेड मूल्य में काफी गिरावट आई थी, विशेष रूप से चीन पीआर से संबद्ध सामानों के लैंडेड मूल्य में घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू होने के बाद काफी गिरावट आई थी। इसलिए, यदि घरेलू उद्योग को और क्षति पहुँचती है, तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में फिर से वृद्धि होगी।

158. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों के अनुसार तथा पाटनरोधी नियमावली 1995 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देश से, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक मानते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

159. प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम में सिफारिश किए गए रूप में मामले के दिए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स में और तरीके से पाटनरोधी शुल्क उपयुक्त है और इसने वर्तमान जांच परिणाम के लिए भी उसे लिया है। एंटी-डंपिंग शुल्क संबद्ध वस्तुओं के लैंडेड मूल्य और कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में संदर्भ मूल्य के रूप में निर्दिष्ट राशि के बीच के अंतर के बराबर होगा, बशर्ते कि लैंडेड मूल्य कॉलम (7) में इंगित राशि से कम हो।), और 5 साल की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। इस कारण से, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और दिनांक 18 अगस्त, 2022 की केन्द्र सरकार की अधिसूचना सं. 25/2022- सीमा शुल्क

द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से इसमें नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

160. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3,8ख, 9, 9क के अंतर्गत लेवी किए गए शुल्कों को छोड़कर लागू स्तर का सीमा शुल्क होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29*	उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	झोंगशान बेलिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	435.10	किग्रा.	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	सिचुआन जेलि फार्मास्युटिकल कं. लिमिटेड	438.75	किग्रा.	यूएसडॉ.
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	सुझोऊ तियानलु बायोफार्मास्युटिकल कं. लि.	450.40	किग्रा.	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित	क्र.सं. (1), (2) और (3) में उल्लिखित	465.94	किग्रा.	यूएसडॉ.

				कोई देश	उत्पादकों छोड़कर कोई अन्य उत्पादक			
5	-वही-	-वही-	चीन. गण और कोरिया गणराज्य के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	465.94	किग्रा.	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	डेवूंग बायो इनकारपोरेटेड	378.38	किग्रा.	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्र. सं. (7) में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य देश	381.93	किग्रा.	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	चीन. गण और कोरिया गणराज्य के	कोरिया गणराज्य	कोई	381.93	किग्रा.	यूएसडॉ.

			अलावा कोई देश					

** 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942. हालांकि, इस उत्पाद का प्रमुख रूप से आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है।*

161. उपर्युक्त के अध्यधीन, दिनांक 30 जून, 2022 को अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

ठ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

162. केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी